ह. स. कं. क.

HSCC

30वीं वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड

5

सेवा वर्णक्रम

संकल्पनात्मक शिक्षण एवं प्रबंधन परामर्श
पुनर्वास आधारभूत सर्वेक्षण एवं
अर्थशास्त्र शिक्षण
जानपदिक सर्वेक्षण
निकाय योजना
साध्यता शिक्षण
पुनर्निर्माण / पुनर्गठन शिक्षण
मूल्यांकन शिक्षण
अभियांत्रिक शिक्षण
नवरूपण / पूनर्वास
आधुनिकीकरण / उन्नयन
विस्तार
उत्पादकता / कार्यकुशलता संशोधन
सुविधा डिजाइन
संकल्पनात्मक डिजाइन
प्रमुख डिजाइन
वास्तुविद्यात्मक डिजाइन / योजनाएं
अभियांत्रिक डिजाइन
उपस्कर योजना
व्यर्थ प्रबंधन
डिजाइन समन्वय
ह.स.कं.क.
HSCC
लॉजिस्टीक्स एवं स्थापना
परिवहन
समाशोधन एवं अग्रेषण
साईट वितरण
स्थापना
जांच–पड़ताल / चालू करना
प्रशिक्षण
परियोजना प्रबंधन
ठेकेदारों के चयन सहित परियोजना
योजना तथा कार्य का पुरस्कार
परियोजना निगरानी
गुणवत्ता नियंत्रण
निर्माण पर्यवेक्षण
ठेकों का प्रशासन
वित्तीय नियंत्रण
प्रापण
औषधियां एवं दवाईयां
मेडिकल उपस्कर
अन्य उपस्कर
संचार माध्यम
उपयंत्र
फर्नीचर एवं जुड़नार
सूचना तकनीकी
स्वास्थ्य एम आई एस
कार्यप्रणाली समाकलन

श्री गुलाम नबी आजाद
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण मंत्री

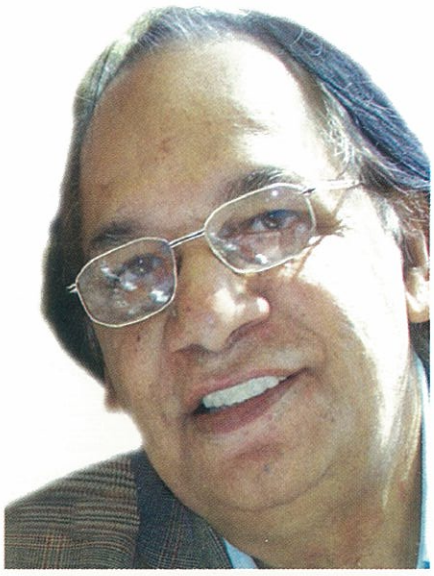

श्री ए. एच. खान चौधरी
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण राज्य मंत्री

श्रीमती संतोष चौधरी
माननीया केन्द्रीय स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण राज्य मंत्री

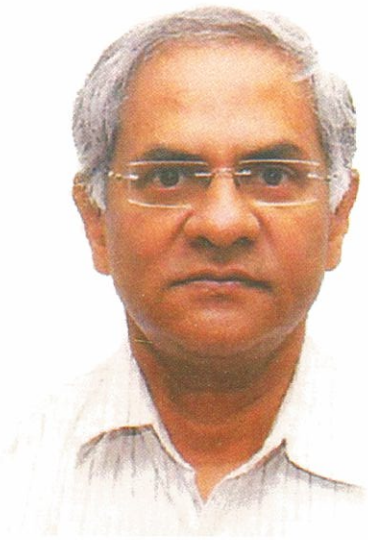

श्री केशव देसीराजु
माननीय सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

निदेशक मंडल

श्री एस. के. श्रीवास्तव
अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री ज्ञानेश पाण्डेय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस. के. राव
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री एस. के. जैन
निदेशक (इंजीनियरिंग)

श्री देबीदास दत्ता
अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक

सीए. अनील ए. मसंद
अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक

प्रो. सुशील
अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक

वरिष्ठ अधिकारी

श्री ए. के. अग्रवाल
कार्यपालक निदेशक

श्री एस. ए. उस्मानी
मुख्य महाप्रबंधक
(परि. तथा डिजा. एवं इंजी.) तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री जे. पी. बहल
मुख्य महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा) तथा प्रापण

श्री वी. वी. गोविन्दा राव
महाप्रबंधक (सिविल)

श्री एस. सी. गर्ग
महाप्रबंधक (परियोजना)

विषय–सूची

अध्यक्ष महोदय का भाषण 2

कार्य निष्पादन पर एक नजर 6

वित्तीय सारांश 7

दृष्टि, लक्ष्य, कॉरपोरेट मूल्यांकन, कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति 8

सेवा वर्णक्रम 9

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 10

सचिवालय लेखा परीक्षकों का अनुपालन प्रमाण पत्र 25

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 34

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट 35

31.03.2013 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र 40

31.03.2013 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा 41

अनुसूची संख्या 1 – 17 42

लेखा संबंधी आवश्यक नीतियां 49

वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियां 51

लाभांश समारोह 2012–13

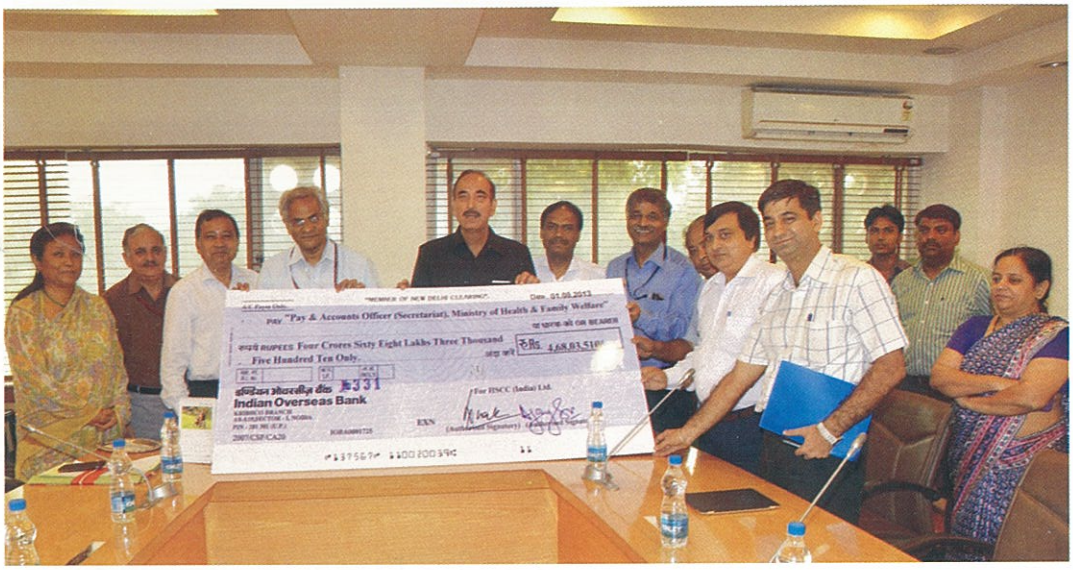

दिनांक 02.08.2013 को श्री केशव देसीराजु, सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), मंत्रालय के अधिकारीगण, शेयर–धारक, एच एस सी सी के निदेशक एवं अधिकारियों की उपस्थिति में श्री ज्ञानेश पाण्डेय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एच एस सी सी द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री गुलाम नबी आजाद को वर्ष 2012–13 का लाभांश चैक राशि ₹ 4,68,03,510 प्रस्तुत किया गया।

30वीं आम–सभा बैठक

दिनांक 31.07.2013 को एच एस सी सी की 30वीं वार्षिक आम सभा बैठक (AGM) का आयोजन शेयर–धारकों, सभा निदेशकों तथा एच एस सी सी के अधिकारियों की उपस्थिति में सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के कार्यालय में सम्पन्न हुआ।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से .....

प्रिय अंशधारकों,

मुझे आपकी कम्पनी की 30वीं वार्षिक आम–सभा बैठक (Annual General Meeting) में आप सभी का स्वागत करते हुये बेहद खुशी हो रहा है। यह वास्तव में एक विशेष अवसर है तथा मैं खुश हूँ कि इस अवसर पर आप हमारी इस खुशी को बांटने के लिये यहां उपस्थित हैं। आपकी कम्पनी की 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट आपकी आज्ञा से मुझे आपके सम्मुख रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

उपलब्धियों की समीक्षा

जैसा कि आपने वार्षिक रिपोर्ट में देखा होगा, वर्ष 2012–13 के दौरान, हमने विकास की तर्ज पर तेजी से उन्नति करते हुये कॉरपोरेट रणनीति एवं गुणवत्ता के उच्चतम मानकों पर रहकर एक और वर्ष पूरा कर लिया है जो कम्पनी के शानदार वित्तीय परिणाम एवं उसकी मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि विशेषरूप से जब अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मंदी और मुद्रास्फीति में अधिकतम गिरावट तथा व्यापार जगत में चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद कम्पनी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके यह उपलब्धि हासिल की गई है।

मुझे आपको सूचित करते हुये खुशी हो रही है कि 31 मार्च, 2013 को वर्ष की समाप्ति तक आपकी कम्पनी ने समस्त क्षेत्रों एवं कार्यकलापों में निरन्तर प्रगति की है।

वर्ष 2012–13 की उपलब्धियां

कम्पनी ने निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की हैं :–

- गत वर्ष की 30.90% वृद्धि के परिणामस्वरूप कुल आय (Total Income) 4458 लाख रूपये के मुकाबले इस वर्ष 5835 लाख रूपये का अधिकतम लाभ हुआ है जोकि अब तक की उच्चतम आय है।
- गत वर्ष की 15.40% वृद्धि के परिणामस्वरूप परामर्श शुल्क (Consultancy Fee) 2929 लाख रूपये से बढ़कर 3380 लाख रूपये हो गया है।
- गत वर्ष की 53.10% वृद्धि के परिणामस्वरूप कर पूर्व लाभ (Profit Before Tax–PBT) 2352 लाख रूपये से बढ़कर 3600 लाख रूपये हो गया है।
- गत वर्ष की 53.50% वृद्धि के परिणामस्वरूप सकल–लाभ (Net Profit) 1471 लाख रूपये के मुकाबले इस वर्ष बढ़कर 2257 लाख रूपये हो गया है।
- गत वर्ष की 18.82% वृद्धि के परिणामस्वरूप आरक्षित एवं अधिशेष (Reserves & Surplus) पूंजी भी 8708 लाख रूपये से बढ़कर 10347 लाख रूपये हो गयी है।
- गत वर्ष की 18.32% वृद्धि के परिणामस्वरूप, नेटवर्थ (Net Worth) भी 8948 लाख रूपये के मुकाबले बढ़कर 10587 लाख रूपये हो गयी है।
- गत वर्ष की प्रदत्त शेयर पूंजी (Paid Up Capital) 125% से बढ़कर 195% की तुलना में 300.02 लाख रूपये से बढ़कर 468.03 लाख रूपये की वृद्धि करके अब तक का सबसे उच्चतम लाभांश अर्जित किया है।
- गत वर्ष की 53.34% वृद्धि के परिणामस्वरूप अब तक की उच्चतम प्रति–शेयर अर्जन (Earning Per Share) 613 लाख रूपये से बढ़कर 940 लाख रूपये हो गयी है।

चल रही परियोजनाएं (On-Going Projects)

निर्धारित वर्ष के दौरान कम्पनी को डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, परियोजना एवं प्रापण प्रबंधन इत्यादि विभिन्न अति–विशिष्ट एवं चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने का अधिकतम कार्य पुरस्कृत किया गया है।

एच एस सी सी वर्तमान में जिन परियोजनाओं में परामर्शदायी सेवाएं प्रदान कर रही है, वे ये हैं :–

- एम्स (AIIMS) - पी.सी. शैक्षिक ब्लॉक, डाइनिंग ब्लॉक, छात्रावास ब्लॉक, शल्य–चिकित्सा ब्लॉक तथा एम्स (AIIMS) का मास्टर प्लान इत्यादि
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC), दिल्ली

- आयुष (Ayush), सरिता विहार, नई दिल्ली
- सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली का पूनर्विकास
- एम्स (AIIMS), रायबरेली
- पी.जी.आई (PGI), चंडीगढ़
- नर्सिंग कॉलेज एवं सब–स्टेशन, पटियाला
- उन्नत केंसर डायग्नोस्टिक, उपचार एवं अनुसंधान केन्द्र, भटिंडा
- पी.एम.एस.एस.आई. (PMSSY) – अमृतसर, कोलकता, भुवनेश्वर, टांढा
- निग्रिहम्स (NEIGRIHMS), शिलौंग
- आयुष (Ayush), शिलौंग
- साधारण अस्पताल, नाहरलागुन
- क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान – RIMS (पैकेज I एवं II), इम्फाल
- लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान LGBRIMH (पैकेज I एवं II), तेजपुर
- क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र (RMRC), डिब्रुगढ़
- राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान (NIUM), बैंगलोर

प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूती (Strengthening Competitiveness)

एच एस सी सी ने कठोर प्रतिस्पर्धात्मकता के माध्यम से कुछ परियोजनाओं को सुरक्षित कर लिया है जैसे :–

- करनाल, हरियाणा में कल्पना चावला शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण
- बाल चिकित्सा अस्पताल, श्रीनगर की विस्तृत वास्तुविद्ध योजना एवं डिजाइन
- मातृ–शिशु अस्पताल, जम्मू एवं कश्मीर
- माइक्रोबॉयल टैक्नोलॉजी, चण्डीगढ़ हेतु (टाईप V) हाऊसिंग का निर्माण
- राष्ट्रीय पशु बायो–टैक्नोलाजी संस्थान (NIAB), हैदराबाद
- बैंगलोर मैट्रो रेल कॉरपोरशन, बैंगलोर हेतु वानी विलास अस्पताल में मैट्रो ब्लॉक
- पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान, पूणे हेतु वैक्सीन प्रसंस्करण सुविधाएं
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), खड़गपुर
- सरकारी मेडिकल कॉलेज, पालाक्कड़, केरला
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) – हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़

एच एस सी सी ने जोरदार प्रयासों द्वारा प्रतियोगिता के माध्यम से परियोजनाओं को सुरक्षित किया है। हमारा पूरा ध्यान मौजूदा एकीकृत व्यापार मॉडल प्रतिस्पर्धा अनुसार जैसे अपने को स्वीकृत स्वीकार किया गया है तथा यह अपनी विश्वसनीयता एवं अवसर को भुनाने के लिये हमारी क्षमता में वृद्धि करने के लिये जरूरी भी है।

मिनी रत्न स्थिति / समझौता ज्ञापन (Mini Ratna Status / MOU)

सितम्बर, 1999 से एच एस सी सी लगातार " मिनी रत्न " होने की उपाधि को बनाये हुये है। वर्ष 2012–13 के निर्धारित समझौता ज्ञापन (MOU) के तहत, कम्पनी को परियोजना उपलब्धियों की समाप्ति तथा उनमें सुधार करने हेतु इसे पूर्णतयाः सक्षम किया गया है। तदनुसार, यह संभावना की जा रही है कि वर्ष 2012–13 के लिये भी, लोक उद्यम विभाग (Deptt. of Public Enterprises) द्वारा समझौता ज्ञापन (MOU) मूल्याकंन के आधार पर एच एस सी सी को सर्वश्रेष्ठ (Excellent) होने का दर्जा मिलेगा।

निगमित सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility)

कम्पनी के समस्त कार्यकलाप हैल्थ–केयर से संबंधित हैं, अतः इसके समस्त कार्यकलाप एवं प्रचालन परोक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक दायित्वों से जुड़ें हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान, दिनांक 13.06.2012 को कम्पनी ने अपने कॉरपोरेट कार्यालय, नौएडा में रक्त–दान शिविर (Blood Donation Camp) का आयोजन किया है तथा निगमित सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility) के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 4 लाख रूपये का अंशदान दिया है। अभी हाल ही में, कम्पनी तथा उसके कर्मचारियों ने भी उत्तराखण्ड आपदा राहत हेतु 32 लाख रूपये का अंशदान दिया है।

मानव संसाधन (Human Resource)

लागत, गुणवत्ता और सेवा – ये तीन शब्द एच एस सी सी को मानव संसाधन प्रबंधन विभाग को प्रतिस्पर्द्धा हेतु प्रेरित करते हैं। हम अपनी मानव संसाधन नीतियों को प्रतिभाशाली बनाकर कर्मचारियों की भर्ती और कम्पनी में इन्हें एकीकरण की सुविधा, उनके कौशल के विकास को प्रोत्साहित करने और उनकी भौगोलिक और व्यावसायिक गतिशीलता बढ़ाने की दिशा में करने के उद्देश्य से नवीनतम कर रहे हैं।

कम्पनी के सतत विकास और प्रभावशाली प्रदर्शन को बदलकर बारीकी से कम्पनी की कॉरपोरेट योजना और रणनीति के साथ उसका गठबंधन कर रहे हैं, जिन्हें मानव संसाधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने के लिये जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

कम्पनी पर काम के बोझ को पूरा करने के लिये, देश भर के तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों से प्रबंधन स्तर के कनिष्ठ और मध्यम प्रबंधन स्तर के प्रशिक्षुओं (Trainees) की आवश्यक भर्ती प्रक्रिया में हैं।

प्रशिक्षण और सम्मेलन (Training & Seminar)

हाल ही में, एच एस सी सी द्वारा स्टैक–हौल्डर्स के हितों एवं हैल्थ–केयर सैक्टर में अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण के इंजीनियरिंग पहलू (Engineering Aspect of Infection Control in Hospital) की पहली श्रृंखला पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

विश्वव्यापी कारोबार (Global Business)

आपकी कम्पनी ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेशों में भी व्यापारिक अवसरों को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। एच एस सी सी ने परियोजना प्रबंधन के तहत श्रीलंका में अपना साईट ऑफिस स्थापित किया है तथा डिस्ट्रीक्ट जनरल अस्पताल, डिकोया, श्रीलंका में विभिन्न मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है।

बीर अस्पताल – ट्राऊमा सेन्टर, काठमांडू, नेपाल में विभिन्न मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है।

एच एस सी सी अधिकारियों की एक टीम ने म्यांमार देश का दौरा किया है जिसके अनुसार म्यांमार सरकार ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं और संबंधित क्षेत्रों में पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन हेतु एक परिदृश्य तैयार करने तथा अपने दो मौजूदा अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति तथा उनके उन्नयन हेतु वहां से प्रस्ताव आया है।

एच एस सी सी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (NIHFW) के सहयोग से मेडिकल के पेशेवर लोगों के लिये 2 अस्पताल (बच्चों का अस्पताल – यंग्गुन तथा साधारण अस्पताल – सिटवे, म्यांमार) स्थापित करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है :–

- " आपातकालीन तैयारी हेतु अस्पताल में संस्थागत प्रशिक्षण " तथा " आई.सी.यू. का प्रबंधन (वयस्क) " विषय पर दो सप्ताह का कार्यक्रम
- " आई.सी.यू. नवजात और बाल चिकित्सा " और " शिशुओं के मामलों पर प्रबंधन " विषय पर तीन सप्ताह का कार्यक्रम

विश्व में परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाले संगठन के रूप में कम्पनी को जाना जाये, इसके लिये वह अपने समस्त कार्यकलापों जैसे बिल्डिंग इंजीनियरिंग तथा रख–रखाव एवं ग्राहक आधारित सेवाओं को भी विस्तृत एवं विविधता लाने का प्रयास कर रही है। अफगानिस्तान, म्यांमार, सुडान, नेपाल, भुटान, जिम्बावे तथा अन्य देशों से और व्यापार आने की संभावना है।

वृद्धि पर दृष्टि (Growth Vision)

भारत और ओवरसीज देशों में स्वास्थ्य क्षेत्रों में मूल्य–वर्धित, अभिनव और एकीकृत सेवाएं प्रदान करने वाली विभिन्न सेवाएं, अन्य बुनियादी ढ़ांचा परियोजनाओं में अपनी कोर क्षमता का लाभ एवं अपने पेशेवर कर्मचारियों को एक बल–वर्द्धक और सक्रिय काम करने का माहौल पैदा करके परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने वाली एक अग्रणी कम्पनी के रूप में जाना जाये।

निगमित प्रशासन (Corporate Governance)

अच्छा कॉरपोरेट प्रशासन हमेशा आपकी कम्पनी की पहचान रहा है। कम्पनी के समस्त प्रदर्शन में व्यापार के नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के क्रम में अपने व्यवहार में पारदर्शिता और देश के कानूनों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट इकाई के रूप में, आपकी कम्पनी में अच्छे निगमित प्रशासन, आचरण पर देख–रेख और पारदर्शिता, अखंडता, व्यावसायिकता, जवाबदेही तथा उचित प्रकटीकरण के पहलुओं की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा निगमित प्रशासन पर निर्धारित दिशा–निर्देशों के संदर्भ में, अपेक्षित रिपोर्ट को तैयार करके मंत्रालय में नियमित रूप से भेजा जा रहा है।

आभारोक्तियां (Acknowledgement)

अन्त में, निदेशक मण्डल और प्रबंधन की ओर से, मैं हमारे सभी सम्मानीय शेयर–धारकों को धन्यवाद देता हूँ जिनका हम पर निरन्तर भरोसा, समर्थन एवं विश्वास बना हुआ है तथा जो हमारे सदैव प्रेरणा–स्रोत हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का बहुमूल्य समर्थन, निदेशक बोर्ड एवं शेयर–धारक हमेशा शक्ति–स्रोत रहे हैं। कम्पनी को प्रदान किये गये बहुमूल्य मार्ग–दर्शन, सहयोग और समर्थन के लिये मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ।

मैं कम्पनी के मूल्यवान ग्राहकों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय (MEA), एम्स (AIIMS), पी.जी.आई. (P G I), चंडीगढ़, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, केरला सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा उनके निरन्तर समर्थन और विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। कम्पनी का ध्यान, हमेशा की तरह ग्राहकों की संतुष्टि पर सदैव केंद्रित रहेगा।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों का भी उनके मूल्यवान सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

अन्त में थोड़ा किन्तु कम नहीं, मैं कम्पनी के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को पूरा करने में उनके निरंतर प्रयासों के लिये एच एस सी सी के समस्त कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है, एच एस सी सी के कर्मियों के निरंतर प्रयासों के साथ, इस सतत विकास और प्रदर्शन को बनाए रखना संभव होगा।

धन्यवाद,

(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान :– नई दिल्ली
तिथि :– 31 जुलाई, 2013

कार्य निष्पादन पर एक नजर

दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष में अब तक फिर से उत्कृष्ट परिणाम दर्शाते हुये कम्पनी ने कर–पश्चात लाभ (Profit After Tax) 2257 लाख रूपये तथा 5835 लाख रूपये का उच्चतम कारोबर अर्जित किया है।

वर्ष 1983 में 40 लाख रूपये की प्रदत्त पूंजी के साथ कम्पनी के सुत्रपात होने से अब तक आरक्षित एवं अधिशेष राशि में से 200 लाख रूपये के बोनस शेयर्स जारी करके कम्पनी ने अपनी प्रदत्त पूंजी को 240 लाख रूपये बढ़ाकर बेहतरीन परिणाम अर्जित किये हैं। दिनांक 31.03.2013 को नेट–वर्थ (Net-Worth) 10587 लाख रूपये को पार कर गया है।

कम्पनी में अधिकतम राजस्व और उच्चतम लाभ से ओत–प्रोत नेट–वर्थ को निरन्तर बढ़ाने के साथ ही साथ इसे भावी पीढ़ी हेतु मजबूत स्थिति में बनाने के लिए एच एस सी सी के उद्देश्य और उसकी रणनीति सदैव प्रतिबध हैं। इस तरह से हम अपने तुलन–पत्र (Balance Sheet) को मजबूत बनाकर अपने शेयर–धारकों को आर्कषक लाभांश देकर इससे एक ही समय में कम्पनी के मूल्य में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी।

हम हमने ग्राहकों को स्वास्थ्य एवं हैल्थ केयरों के क्षेत्रों में विशिष्ट गुणवत्ता के साथ–साथ नवीनतम सेवाओं को समय पर प्रदान करने वाले प्रदायक के रूप में निरन्तर प्रतिबध हैं।

(रूपये लाख में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आय	3273	3315	3346	4458	5835
कर पूर्व लाभ	1533	1346	1321	2352	3600
निवल लाभ	970	859	834	1472	2257
लाभांश	208	173	173	300	468
कुल आर्डर बुक (शुल्क)	3425	3663	2195	5904	24928
समझौता ज्ञापन के अधीन कोटि निर्धारण	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट (प्रत्याशित)

कुल आय

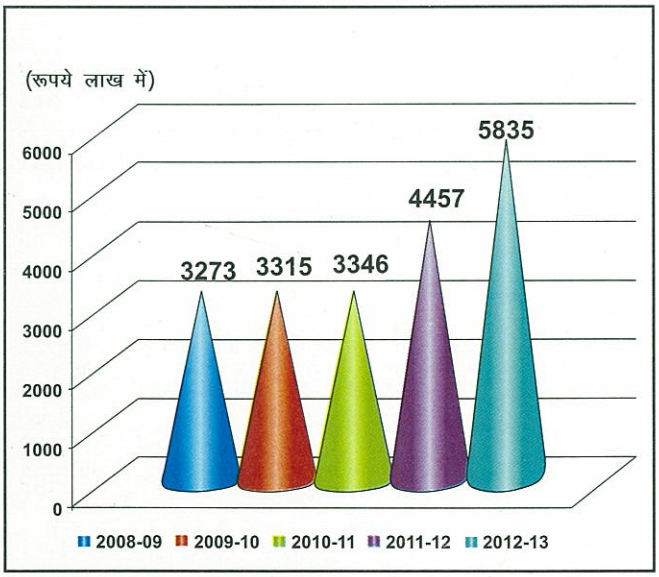

निवल मूल्य

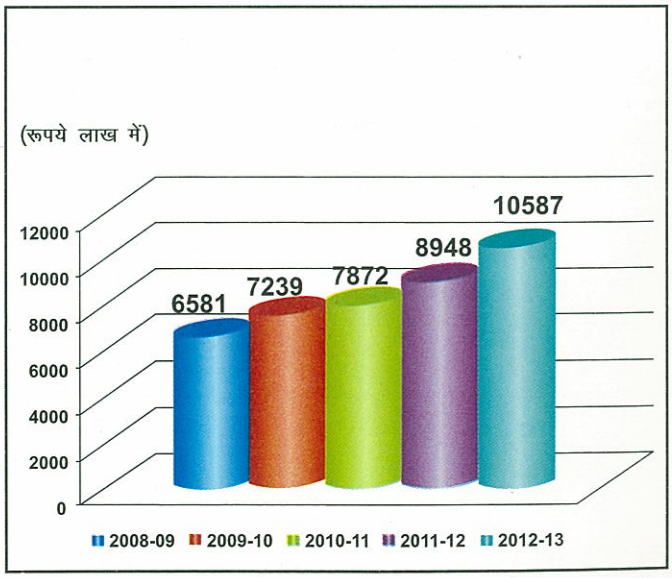

इस दशक के वित्तीय परिणामों पर एक नजर

(आंकड़े रूपये लाख में)

विवरण	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
वित्तीय निष्पादन										
प्रदत्त पूंजी	160	160	160	160	160	240	240	240	240	240
आरक्षित एवं सरप्लस	3522	3838	4554	5111	5695	6341	6999	7632	8708	10347
निवल मान	3682	3998	4714	5271	5855	6581	7239	7872	8948	10587
कुल स्थायी परिसम्पत्तियां	363	336	749	727	707	675	632	615	600	685
कार्यशील पूंजी	3321	3631	3901	4455	5105	5811	6440	7117	33398	10200
लगाई गई पूंजी	3684	3998	4714	5271	5855	6581	7072	7731	8808	10885
परिचालन आंकड़े										
परामर्श शुल्क	2010	1078	1845	1678	1740	1936	2097	2311	2929	3380
ब्याज और अन्य आय	558	562	785	845	1356	1337	1218	1034	1529	2455
कुल आय कारोबार	2568	1641	2630	2523	3096	3273	3315	3346	4458	5835
व्यय	868	925	1115	1224	1711	1696	2002	1993	2048	2203
सकल लाभ	1700	716	1515	1299	1385	1577	1385	1357	2409	3632
मूल्यह्रास	50	40	42	45	45	44	39	36	58	32
कर पूर्व लाभ	1650	676	1474	1254	1340	1533	1346	1321	2352	3600
कर पश्चात लाभ	1028	418	962	798	836	970	859	834	1472	2257
लाभांश	210	88	216	208	208	208	173	173	300	468
जनशक्ति										
कर्मचारी (संख्या में)	120	125	133	130	132	139	135	132	124	123
(नियमित वेतनमानों पर)										
अनुपात										
पी. बी. टी. / आय (प्रतिशत)	64	41	56	50	43	47	41	39	53	61.70
शुद्ध लाभ / आय (प्रतिशत)	40	25	37	32	27	30	26	25	33	38.68
निवल लाभ / निवल मान	28	10	20	15	14	15	12	11	16	21.32
प्रति कर्मचारी अर्जन	21	13	20	19	23	24	25	25	36	47.44
प्रति कर्मचारी अर्जन (ई. पी. एस.)(रूपये)	642	261	601	499	523	404	358	347	613	940
प्रति–शेयर बुक–वेल्यू (रूपये)	2301	2499	2946	3294	3659	2742	3016	3280	3728	4411

दृष्टि, लक्ष्य, कॉरपोरेट मूल्यांकन और कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति

दृष्टि (Vision)

भारत एवं ओवरसीज देशों में हैल्थ–केयर से जुड़ी मूल्य–वर्द्धित, समन्वित एवं नवीनतम सेवाओं को उपलब्ध करवा कर इसके विद्धवान संव्यवसायिक कर्मचारियों के साथ मिलकर विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में बल–वर्द्धक एवं कुशलतम कार्य–संस्कृति का निर्माण करनी वाली प्रमुख कम्पनी के रूप में जाना जाये।

लक्ष्य (Mission)

भारत एवं ओवरसीज देशों में भवनों का निर्माण एवं विकास तथा हैल्थ–केयर तथा संबंधित अन्य क्षेत्रों में परामर्शदायी संबंधी सेवाओं तथा व्यापक संकल्पना, प्रोजैक्ट परियोजना, वास्तुविद्ध, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, प्रापण संबंधित कार्यों के विद्धता–पूर्वक ढांचे को उपलब्ध करना।

कॉरपोरेट मूल्यांकन
(Corporate Values)

- ग्राहकों की मूल्यवृद्धि पर विशेष ध्यान देना।
- संगठन के अन्दर सृजनशीलता एवं नवीनता को विकसित करना।
- विद्धता संगठन का सर्जन करना।
- टीम–स्प्रीट की भावना अपनाकर अपने समस्त कार्यकलापों को योग्य बनाना।

कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति
(Corporate Quality Policy)

स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उत्कर्ष परामर्शी सेवाएं प्रदान करके नेतृत्व और ग्राहकों के प्रति विश्वास की भावना बनाए रखना ।

सेवा वर्णक्रम

संकल्पनात्मक शिक्षण एवं प्रबंधन परामर्श

- पुर्नवास आधारभूत सर्वेक्षण एवं अर्थशास्त्र शिक्षण
- जानपदिक सर्वेक्षण
- निकाय योजना
- साध्यता शिक्षण
- पुनर्निर्माण / पुनर्गठन शिक्षण
- मूल्यांकन शिक्षण

प्रापण

- औषधियां एवं दवाईयां
- मेडिकल उपस्कर
- अन्य उपस्कर
- संचार माध्यम
- उपयंत्र
- फर्नीचर एवं जुड़नार

परियोजना प्रबंधन

- ठेकेदारों के चयन सहित परियोजना योजना तथा कार्य का पुरस्कार
- परियोजना निगरानी
- गुणवत्ता नियंत्रण
- निर्माण पर्यवेक्षण
- ठेकों का प्रशासन
- वित्तीय नियंत्रण

सुविधा डिजाइन

- संकल्पनात्मक डिजाइन
- प्रमुख डिजाइन
- वास्तुविद्यात्मक डिजाइन / योजनाएं
- अभियांत्रिक डिजाइन
- उपस्कर योजना
- व्यर्थ प्रबंधन
- डिजाइन समन्वय

अभियांत्रिक शिक्षण

- नवरूपण / पूनर्वास
- आधुनिकीकरण / उन्नयन
- विस्तार
- उत्पादकता / कार्यकुशलता संशोधन

लॉजिस्टीक्स एवं स्थापना

- परिवहन
- समाशोधन एवं अग्रेषण
- साईट वितरण
- स्थापना
- जांच–पड़ताल / चालू करना
- प्रशिक्षण

सूचना तकनीकी

- स्वास्थ्य एम आई एस
- कार्यप्रणाली समाकलन

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवामें,

अंशधारकों,
एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड

आपके निदेशकों को कम्पनी के कार्यकलापों और प्रचालन से संबंधित 30वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वित्तीय विशेषताएँ

वर्ष 2011–12 के तुलनात्मक आंकड़ों सहित वर्ष 2012–13 के समस्त वित्तीय परिणामों का सार निम्नानुसार है जो कम्पनी की ठोस एवं स्वस्थ स्थिति को दर्शाते हैं : –

(लाख रूपये में)

विवरण	2012-13	2011-12
सकल आय	5835.30	4457.82
सकल व्यय	2202.49	2048.40
सकल लाभ	3632.81	2409.42
मूल्यह्रास	32.08	57.55
कर पूर्व लाभ	3600.73	2351.87
कराधान (निवल)	1343.61	880.09
कर पश्चात निवल लाभ	2257.12	1471.78
लाभांश	468.03	300.02
निवल मान	10587.40	8948.30
प्रति–शेयर अर्जित (रूपये)	940.00	613.00

इस वर्ष 31 मार्च, 2013 तक आपकी कम्पनी ने संतोषजनक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। गत वर्ष कम्पनी का सकल लाभ उसकी सकल आय के मुकाबले बढ़कर 31 % तथा कुल लाभ 53 % हो गया है।

पूंजीगत ढांचा

वर्ष के दौरान समीक्षा करने पर कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी और प्रदत्त शेयर पूंजी 500 लाख रूपये और 240.01 लाख रूपये तक स्थिर रही है।

लाभांश

निदेशकों ने प्रदत्त शेयरपूंजी पर @195% की दर से कम्पनी के सकल लाभ का 468.03 लाख रूपये की राशि संतुति की है। यह वार्षिक आम सभा बैठक में सदस्यों के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। इसमें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सिफारिशों के अनुसार 20.73% पूर्व कर लाभ से अधिक लाभांश देने की सिफारिश की है। कंपनी निरंतर 28 वर्षों से लाभांश की घोषणा करती आ रही है तथा वर्ष 2012–13 तक संचयी लाभांश 3058.19 लाख रूपये था।

सामान्य आरक्षित निधि का विनियोजन

लाभांश और आयकर के लिए प्रावधान रखने के बाद निदेशक मण्डल ने लाभ एवं हानि खाते में लिखे शुद्ध लाभ में से 200 लाख रुपये (पिछले वर्ष 200 लाख रुपये) सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की सिफाारिश की है। सरप्लस के अलावा 31.03.2013 तक संचयी सामान्य आरक्षित निधि 10347.38 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8708.30 लाख रूपये) हो गयी है।

निष्पादित विशेषताएं

कम्पनी अपने समस्त कार्यकलापों एवं गतिविधियों में निरन्तर प्रगति कर रही है। अपनी सेवाओं को विस्तृत करने हेतु कम्पनी द्वारा विभिन्न स्तरों पर कारगर कदम उठाये जा रहे हैं। अपितु, कम्पनी द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न तकनीकी सेवाओं के इस्तेमाल के लिये तकनीकी क्षेत्रों में उच्च डिग्री प्राप्त कुछेक विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं की सेवाएं ली जा रही हैं।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने **अनुसंधान एवं विकास** के क्षेत्रों में निरंतर नवीनता लाने के लिये प्रयास किया है तथा इस संबंध में प्राप्त किये गये 5.80 लाख रूपये का विवरण निम्नांकित है :–

- कम्पनी ने मेडिकल डॉक्टरों / वैज्ञानिकों / तकनिशियनों द्वारा बॉयो–सैफटी कैबिनेट को इस्तेमाल किये जाने वाली रिपोर्ट को तैयार किया है।
- कम्पनी ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और उन पर निगरानी रखने के लिये एक प्रणाली विकसित की है।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने **नवीनता का विकास** करने के लिये जिन परियोजनाओं की समीक्षा की तथा इस संबंध में प्राप्त किये गये 5.73 लाख रूपये का विवरण निम्नांकित है :–

- कम्पनी ने अस्पताल परियोजनाओं और अस्पतालों में ओ.पी.डी. मरीजों को क्यू मैंनेजमेंट (Q – Management) हेतु ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा के विकास के लिये रिपोर्ट तैयार की।
- कम्पनी ने सतत घटनाक्रम के पहलूओं पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।
- कम्पनी ने कॉरपोरेट कार्यालय भवन, नौएडा में सौर उर्जा संयत्र / उपकरण स्थापित किया है।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने **कॉरपोरेट निगमित दायित्व** (Corporate Social Responsibility) का विकास करने के लिये जिन परियोजनाओं की समीक्षा की है, वे निम्नलिखित हैं :–

- वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने प्रधान मंत्री राहत कोष (Prime Minister Relief Fund) में अंशदान हेतु 4 लाख रूपये का योगदान दिया है।
- कम्पनी ने रक्त–दान शिविर (Blood Donation Camp) का भी आयोजन किया है इस गतिविधि पर 1.52 लाख रूपये की राशि खर्च की है।

वर्ष 2012–13 के दौरान, कम्पनी को कुछेक प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए परामर्शी एवं परियोजना में प्रबंध सेवाएं प्रदान करने का काम साथ ही डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयां एवं औषधि इत्यादि का भी काम मिला है। एच एस सी सी इस समय जिन प्रमुख परियोजनाओं के लिए वास्तुविद संबंधी योजना, डिजाइन एवं अभियांत्रिकी, परियोजना प्रबंधन, प्रापण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रही है, उसकी सूची अनुबन्ध – I में दर्शायी गई है :–

आदेश बुक (Order Booked)

वर्ष 2012–13 के दौरान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अलावा नये आदेश बुक करने पर 6462 लाख रूपये तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उसके संस्थानों पर 18466 लाख रूपये राशि बुक की गई है।

समझौता–ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

कम्पनी पिछले एक दशक से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (M O U) पर हस्ताक्षर करती आ रही है। कम्पनी अच्छे परिणामों के लिये वर्ष 2011–12 हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा "सर्वश्रेष्ठ" आंकी गई है तथा आशा है वर्ष 2012–13 में अच्छे परिणामों के आधार पर कम्पनी को "सर्वश्रेष्ठ" आंका जायेगा। कम्पनी का यह लगातार 5वां वर्ष है जब इसे "सर्वश्रेष्ठ" आंका जायेगा।

विदेशी मुद्रा का विवरण

(लाख रूपये में)

	2012-13	2011-12
क. खर्चे (Expenditure)		
- यात्रा	0.30	शून्य
- सी.आई.एफ. पूंजीगत माल पर आयात (ग्राहकों की ओर से)	17.83	243.10
ख. आय (Income)	**शून्य**	**शून्य**

मानव संसाधन (Human Resources)

किसी भी कम्पनी की वास्तविक सम्पत्ति उसका मानव संसाधन होती है। कंपनी में 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार 123 कर्मचारी नियमित वेतनमान पर थे, जिनमें से 44 कर्मचारी स्थाई तथा 39 कर्मचारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 2 कर्मचारी शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के हैं। वर्ष भर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्द–पूर्ण ताल–मेल बना रहा। बदलते परिवेश की आवश्यकतानुसार, एच एस सी सी अपने कर्मचारियों के ज्ञान का निरन्तर उन्नयन करती आ रही है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण संबंधी प्रति कर्मचारी लगभग 1 मेनडे (कुल 271 मेन–डेज) के अनुसार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा इस दिशा में उनकी दक्षता और उन्नति हेतु उनका विकास किया जा रहा है। कम्पनी अपने संगठन में अल्प–संख्यकों को रोजगार देने का स्तर बनाये रखने का हर संभव प्रयास करती है।

कल्याण कार्यक्रम (Welfare Activities)

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निरन्तर अभिप्रेरित करने के लिए कर्मचारियों एवं उनकी फैमली के लिये विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों एवं हित–लाभ, पारिवारिक मेल–मिलाप, पिकनिक, वार्षिक दिवस इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

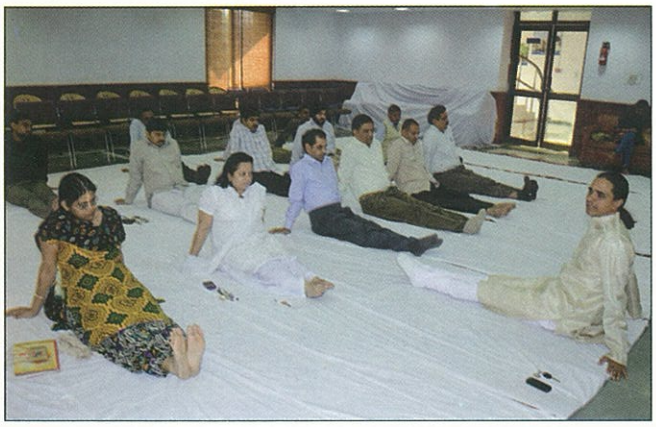

योगशालाओं के दौरान एच एस सी सी कर्मचारी तथा योग गुरू श्री सुरक्षित गोस्वामी जी योगासन करते हुये

राजभाषा की उन्नति एवं कार्यान्वयन

कार्यालय में वर्ष 2012–13 के दौरान राजभाषा हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ाने के संबंध में राजभाषा अधिनियम तथा उसके नियमों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के सक्रिय प्रयास जारी हैं। कर्मचारियों को अपने दैनिक राजकीय कार्यों में हिन्दी की कार्यकारी जानकारी को इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी गई है। सभी मानक प्रपत्र, फाईल आदि द्विभाषी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। हिन्दी में टिप्पण, प्रारूपण और पत्राचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हिन्दी में उत्साहवर्धक काम करने के उद्देश्य से कम्पनी में 14.09.2012 से 28.09.2012 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया है, जिसके दौरान हिन्दी पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं हैं। इसके अलावा, कम्पनी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा इकाई की सदस्य भी है, जिसके तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं, बैठकों, संगोष्ठियों इत्यादि में प्रतिनिधित्व भी करती है। एच एस सी सी में दिनांक 26.06.2012 तथा 19.12.2012 को कम्प्यूटर आधारित यूनीकोड एनेबल संबंधित कार्यालय कार्यों में राजभाषा की उपयोगिता विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कम्पनी के कर्मचारियों ने राजभाषा एवं प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा दिनांक 06.11.2012 तथा 08.11.2012 को गोवा में आयोजित 23वां अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन एवं कार्यशाला में तथा दिनांक 26.12.2012 से 27.12.2012 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निमहंस, बैंगलोर में आयोजित हिन्दी सम्मेलन तथा कार्यशाला में भाग लिया है।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह, उप–प्रबंधक (सिविल) निमहंस (NIMHANS), बैंगलोर में हिन्दी पुरस्कार ग्रहण करते हुये

सतर्कता (Vigilance)

यह कम्पनी एक छोटी परामर्शदायी संगठन है, इसलिए कम्पनी में अलग से कोई सतर्कता एकक नहीं है। मुख्य महाप्रबंधक श्री एस. ए. उस्मानी, अशं–कालिक, मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग मैनेमैंट के महत्वपूर्ण विभाग के रूप में कार्यरत है। सांविधिक एजेंसियों को वापसी एवं रिर्पोट भेज दी जाती है एवं सतर्कता आयोग से समय–समय पर प्राप्त होने वाले नियमों, अनुदेशों का कठोरता से पालन किया जाता है तथा संबंधित निवारक तत्वों को अपनाया जाता है एवं मांगे गये तत्वों को समय पर उचित माध्यम से दिया जाता है। वर्तमान प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में अग्रेषित सुधार एवं उन्नति हेतु उनकी समीक्षा जारी है तथा कम्पनी के कार्यकलापों में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये कारगर कदम उठाये गये हैं। कर्मचारियों में उच्चतम नैतिकता बनाये रखने के लिये कम्पनी में 29.10.2012 से 03.11.2012 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। यहां पहले दिन ही कर्मचारियों द्वारा शपथ गृहण समारोह आयोजित किया गया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर श्री ज्ञानेश पाण्डेय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एच एस सी सी तथा श्री एस. ए. उस्मानी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, एच एस सी सी के कर्मचारियों को सतर्कता शपथ दिलाते हुये

भारत के राष्ट्रपति की ओर से निदेश

एक सरकारी कम्पनी होने के नाते, भारत के राष्ट्रपति ने प्राधिकृत दिशा–निदेश जारी किये हैं। वर्ष के दौरान समीक्षा करने पर, राष्ट्रपति की ओर से अनुपालन हेतु कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्मचारियों का ब्यौरा

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 ए) के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा, कंपनी नियमावली, 1975 के साथ पठित, समय–समय पर संशोधन के रूप में, कम्पनी के कर्मचारियों में से कोई भी प्रतिवर्ष 60 लाख रूपये या 5 लाख रूपये प्रतिमाह के पारिश्रमिक की प्राप्ति से अधिक नहीं था।

निगमित शासन

आपकी कम्पनी में स्वस्थ निगमित शासन को बनाये रखने के लिए पारदर्शिता, अखण्डता, संव्यसायिकता तथा जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोक उधम विभाग (DPE) द्वारा निगमित शासन प्रणाली के मार्गदर्शी सिद्धातानुसार, निगमित शासन प्रणाली की स्थिति को सूचित करते हुये इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में जमा कर दिया जाता है। कम्पनी में सेबी (SEBI) (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) द्वारा जारी निगमित शासन के दिशा–निर्देश कम्पनी द्वारा (प्रदत्त पूंजी 500 लाख रूपये से कम हाने के कारण) सिद्वांत लागु नही होते, लेकिन जहां तक संभव होता है उन तरीकों पर अमल अवश्य करती है, जिनकी सूचना अनुबंध–II में दर्शायी गयी है।

निदेशक मंडल (Board of Directors)

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान एवं पश्चात कार्यालय के निम्नलिखित निदेशक नामित / नियुक्त किये गये हैं :–

श्री ज्ञानेश पाण्डेय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	26.07.2012 से
श्री राजीव टकरू अंश–कालिक निदेशक (शासकीय)	21.09.2012 से
श्री एस. के. राव अंश–कालिक निदेशक (शासकीय)	21.09.2012 से
श्री देबीदास दत्ता अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	02.01.2013 से

श्री अनील ए. मसंद अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	02.01.2013 से
प्रो. सुनील अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	02.01.2013 से
श्री एस. के. श्रीवास्तव अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	27.02.2013 से
श्री एस. के. जैन निदेशक (इंजीनियरिंग)	16.04.2013 से

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान एवं पश्चात निम्नलिखि निदेशक कार्यालय छोड़ कर गये हैं :–

श्री ज्ञानेश पाण्डेय निदेशक (इंजीनियरिंग)	01.06.2011 से 25.07.2012
श्रीमती धरित्री पण्डा अंश–कालिक निदेशक (शासकीय)	04.08.2011 से 21.09.2012
डा. राकेश कुमार अंश–कालिक निदेशक (शासकीय)	23.03.2012 से 21.09.2012
श्री राजीव टकरू अंश–कालिक निदेशक (शासकीय)	21.09.2012 से 27.02.2013

बोर्ड द्वारा श्रीमती धरित्री पण्डा, डा. राकेश कुमार, श्री राजीव टकरू तथा श्री ज्ञानेश पाण्डेय को उनके निदेशक के रूप में कार्यकाल के दौरान किये गये कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए एच एस सी सी के निदेशक बोर्ड द्वारा सराहा गया है।

(ग) वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के समीक्षाधीन अवधि में कार्यालय के निम्नलिखित निदेशक थे :–

श्री ज्ञानेश पाण्डेय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	26.07.2012 से आगे
श्री एस. के. राव संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	21.09.2012 से आगे
श्री देबीदास दत्ता अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	02.01.2013 से आगे
श्री अनील ए. मसंद अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	02.01.2013 से आगे
प्रो. सुनील अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	02.01.2013 से आगे
श्री एस. के. श्रीवास्तव अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	27.02.2013 से आगे
श्री एस. के. जैन निदेशक (इंजीनियरिंग)	16.04.2013 से आगे

निदेशकों की जिम्मेदारियों का विवरण (Directors' Responsibility Statement)

कम्पनी (संशोधित)अधिनियम, 2000 की धारा 217 (2एए) के तहत प्रावधानों के अनुसार, एतद्द्वारा आपके निदेशकों की रिपोर्ट निम्नलिखित है :–

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखा मानक को अपनाया जाता है।
- कम्पनी में वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू मानक लेखों को अपनाया गया है। कम्पनी द्वारा अपनायी गयी लेखाकार नीतियों का लगातार अनुपालन किया जा रहा है, क्योंकि यह वित्त वर्ष के अंत में कम्पनी की सत्य तथा स्पष्ट छवि एवं उस अवधि के कम्पनी के लाभ अथवा हानि को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं। कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान परामर्श शुल्क के संदर्भ में बनायी गयी लेखा नीतियों को संशोधित लेखा मानक (ए एस–7) अनुसार बदल लिया है।
- इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए लेखा रिकार्डों का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है।
- वार्षिक लेखों को निरन्तरता आधार पर तैयार किया गया है।

अनुपालन प्रमाण–पत्र

निदेशक रिपोर्ट में संशोधन अनुसार, कम्पनी (अनुपालन प्रमाण–पत्र) नियम, 2001 के संदर्भ में मैसर्स प्रवीन रस्तोगी एण्ड कम्पनी, कम्पनी सचिव पूर्ण–कालिक सेवा ने 31.03.2013 से एक अनुपालन प्रमाण–पत्र जारी किया है, जो अनुबन्ध–III पर निदेशक रिपोर्ट के अनुशेष अनुसार संलग्न है।

लेखा परीक्षक (Auditors)

कंपनी कार्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए मैसर्स जिंदल एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। इसके लिए उन्हें वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए 3,00,000/– रूपये (तीन लाख रूपये मात्र) मेहनताना प्रदत्त किया जा रहा है जिसमें लागू सर्विस चार्ज भी शामिल है। यह उनकी नियुक्ति का चौथा वर्ष है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधक वर्ग द्वारा दिए गए उत्तर अनुबंध–IV में दिए गए हैं।

सी ए जी (CAG) की प्रबंधक वर्ग की रिपोर्ट पर की गई टिप्पणियां अनुबंध–V में दी गई हैं।

निदेशक मण्डल लेखा परीक्षकों की बहूमूल्य सेवाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करता है।

आभारोक्तियां

हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों तथा कम्पनी के सम्मानित बैंकरों के आभारी हैं जिनसे हमें निरन्तर सहायता एवं सहयोग, समर्थन तथा मार्गदर्शन मिलता रहा है। हम अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों को भी अपना हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कंपनी के सामर्थ्य और उसकी व्यावसायिक सक्षमता के प्रति अपना विश्वास दिखाया है।

कम्पनी के निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष एवं ऑडिट बोर्ड के सदस्य, सांविधिक लेखाकारों, आंतरिक लेखाकारों तथा कम्पनी के बैंकरों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य सहयोग दिया।

निदेशक मण्डल ने कम्पनी के कर्मचारियों के सभी स्तरों पर निष्ठा–पूर्वक कार्य करने एवं कड़ी मेहनत और समर्पित भावना से कार्य करने की प्रशंसा की है जिनकी बदौलत कम्पनी श्रेष्ठ एवं निरंतर वृद्धि कर रही है।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

नई दिल्ली
दिनांक : 2/7/2013

(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुबन्ध - I

वर्तमान में चल रही परियोजनाओं का विवरण जिनमें कम्पनी परामर्शदायी सेवाएं प्रदान कर रही है

क. वास्तुविद संबंधी योजना, डिजाइन एवं अभियांत्रिकी तथा परियोजना प्रबंधन

- निग्रिहम्स, शिलौंग हेतु नार्थ इस्टर्न इंस्टीस्टयूट ऑफ आर्युवेद एण्ड होम्योपैथी (NEIAH) संस्थान, शिलौंग का निर्माण
- नाहरलागुन (अरूणाचल प्रदेश) में सामान्य अस्पताल का निर्माण
- क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (RIMS), इम्फाल में पी.जी. पुरूष एवं महिला होस्टल, यू.जी. महिला होस्टल, नर्सिंग होस्टल एवं इन्ट्रनी होस्टल का निर्माण (पैकेज – I)
- क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (RIMS), इम्फाल (पैकेज – II) – ओ.पी.डी. ब्लॉक का निर्माण
- आर.एम.आर.सी. (RMRC), डिब्रूगढ़ में जैविक सुरक्षा प्रयोगशाला स्तर – 3 (Bio Safety Level – 3 Laboratory) की प्रयोगशाला

नार्थ इस्टर्न इंस्टीस्टयूट ऑफ आर्युवेद एण्ड होम्योपैथी (NEIAH) संस्थान, शिलौंग

- पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) के तहत, अति–विशिष्ट ब्लॉक, कोलकता चिकित्सा महाविद्यालय (KMC), कोलकता हेतु ओ.पी.डी. एवं प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण
- डॉ. आर. पी. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में अति–विशिष्ट ब्लॉक का निर्माण
- पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) के तहत, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अमृतसर में गुरू तेग बहादुर डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण
- पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) के तहत, भुवनेश्वर (ओड़िसा) में एम्स (AIIMS) हाऊसिंग का शेष कार्य तथा फेस – II का निर्माण
- एम्स (AIIMS), अंसारी नगर, नई दिल्ली हेतु एम्स (AIIMS) कैम्पस में पी.सी. शैक्षिक ब्लॉक का निर्माण
- एम्स (AIIMS), अंसारी नगर, नई दिल्ली हेतु एम्स (AIIMS) कैम्पस में डायनिंग ब्लॉक का निर्माण
- एम्स (AIIMS), अंसारी नगर, नई दिल्ली हेतु एम्स (AIIMS) कैम्पस में होस्टल ब्लॉक 1, 2 तथा 3 का निर्माण
- सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली का पुनर्विकास (फेस – I)

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में ओनकोलॉजी ब्लॉक

- डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में अति विशिष्ट ब्लॉक
- सरिता विहार, नई दिल्ली में (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग के तहत) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निर्माण
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली हेतु बृहत पुनर्विकास योजना
- राष्ट्रीय यूनानी औषधिय संस्थान (NIUM), बैंगलूरू हेतु फेस – III कार्यों के तहत रेजीमैंटल थेरेपी ब्लॉक, ऑडिटोरियम तथा फार्मेसी भवन का निर्माण
- राष्ट्रीय रासायनिक जैविकी संस्थान (IICB), सॉल्ट लेक, कोलकत्ता में नये कैम्पस का विकास
- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (GMC), पटियाला में नर्सिंग कॉलेज तथा राष्ट्रीय स्तर की फिजियोथैरेपी कार्यशाला

- सब–स्टेशन कार्य, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (GMC), पटियाला
- उन्नत केंसर डायग्नोस्टिक, उपचार एवं अनुसंधान केन्द्र, भटिंडा
- राष्ट्रीय पशु बायो–टैक्नोलाजी संस्थान, हैदराबाद
- कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज, करनाल, हरियाणा

उन्नत केंसर डायग्नोस्टिक, उपचार एवं अनुसंधान केन्द्र, भटिंडा

- पालाक्कड़, केरला में सरकारी मेडिकल कॉलेज
- मातृ एवं शिशु–बैंगलोर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन हेतु बैंगलोर मेडिकल कॉलेज के कैम्पस में मैट्रो ब्लॉक
- आई.आई.टी. खड़गपुर हेतु 750 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण (फेस–I – 400 बिस्तरों वाला अस्पताल)
- पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान, पूणे हेतु वैक्सीन प्रसंस्करण सुविधाएं
- इम्टैक – सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान (Institute of Microbial Technology – IMTECH), चंडीगढ़
- पंजाब हैल्थ सिस्टम (पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी.)
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC), नई दिल्ली
- बाल चिकित्सा अस्पताल, श्रीनगर (Mother & Child Hospital, Srinagar)
- मातृ एवं शिशु अस्पताल, जम्मू एण्ड कश्मीर सरकार
- जम्मू एण्ड कश्मीर – पी.सी.सी. (J & K – PCC)

एम्स (AIIMS) छात्रावास

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) – छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरला तथा हिमाचल प्रदेश

विदेश में (Abroad)

- बीर अस्पताल, काठमांडू, नेपाल हेतु 200 बिस्तरों वाला आपातकालीन एवं ट्राऊमा सेंटर
- डिकोया, श्री लंका में जिला सामान्य अस्पताल

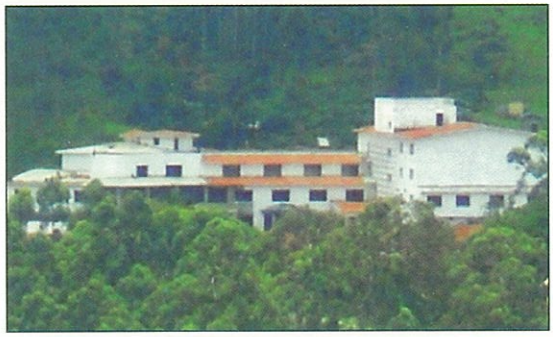
डिकोया, श्री लंका में जिला सामान्य अस्पताल

ख. प्रापण प्रबंधन सेवाएं (Procurement Management Services)

- निग्रिहम्स (NEIGRIHMS), शिलौंग हेतु चिकित्सा उपकरण
- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) हेतु दवाइयां एवं औषधियां
- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institute of Ayurveda – AIIA), सरिता विहार हेतु उपकरणों का प्रापण
- विदेश मंत्रालय (MEA), बीर अस्पताल, काठमांडू हेतु चिकित्सा उपकरण
- श्रीलंका हेतु चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति
- यंगून एवं सिटवे ग्यांमार हेतु चिकित्सा उपकरण

एच एस सी सी द्वारा हाल ही में पूर्ण की गई परियोजनाओं की एक झलक

भाड़सा, झझर, हरियाणा में एम्स, आऊटरिच–ओ.पी.डी. का उद्घाटन

माइक्रोबायल कन्टेंटमेंट कॉम्पलेक्स, पूणे में बी.एस.एल.–4 प्रयोगशाला का उद्घाटन

एम्स (AIIMS)- पी सी शैक्षणिक नई दिल्ली

आर.एम.आर.सी., डिब्रुगढ़ (असम) में अति–विशिष्ट प्रयोगशाला

कोलकाता मेडिकल कॉलेज का शैक्षिक खण्ड

कोलकाता मेडिकल कॉलेज का सभागार

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज रिहायशी क्वाटर्स, नई दिल्ली

एम्स (AIIMS) भुवनेश्वर

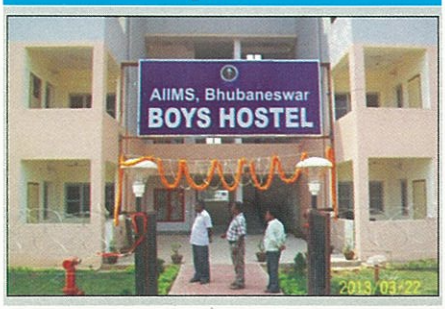

एम्स (AIIMS)- भूतल पार्किंग नई दिल्ली

राष्ट्रीय यूनानी औषधिय संस्थान बैंगलोर

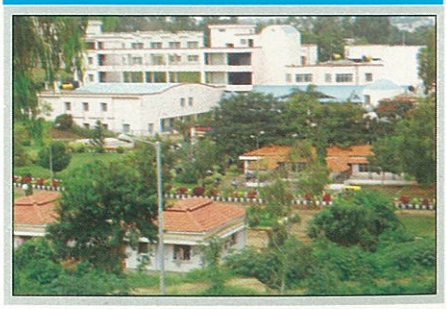

अनुबन्ध - II

कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट

एक अच्छी कॉरपोरेट शासन नीति किसी भी कम्पनी के बेहतर परिणामों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो शेयरधारकों के मूल्यों व मैनेजमैंट में पारदर्शिता, आचार नीति, जवाबदेही तथा साफ–सुथरे परिणामों को दर्शाने व उनका ध्यान रखते हैं। मैंनेमेंट का यह दायित्व होता है कि वह विर्निदिष्ट मामलों में जहां तक संभव हो विस्तृत तरीके से तथ्यों को उपलब्ध करवाये।

क. अन्य कम्पनियों में बोर्ड निदेशकों की श्रेणी तथा डायरेक्टरशिप का सम्मिश्रण

दिनांक 31.03.2013 से कम्पनी के बोर्ड निदेशकों में एक पूर्ण–कालिक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD), दो अंश–कालिक शासकीय निदेशक तथा तीन अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित दिया गया है :–

निदेशक	पूर्ण कालिक / अंश–कालिक
श्री ज्ञानेश पाण्डेय	पूर्ण–कालिक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एस. के. राव *	अंश–कालिक, शासकीय निदेशक
श्री एस. के. श्रीवास्तव **	अंश–कालिक, शासकीय निदेशक
श्री देबीदास दत्ता ***	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक
श्री अनील ए. मसंद ***	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक
प्रो. सुशील ***	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक

- श्री एस. के. राव को डॉ. राकेश कुमार के स्थान पर दिनांक 21.09.2012 से अंश–कालिक शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

** श्री एस. के. श्रीवास्तव को श्री राजीव टकरू के स्थान पर दिनांक 27.02.2013 से अंश–कालिक शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

*** श्री देबीदास दत्ता, श्री अनील ए. मंसद तथा प्रो. सुशील को दिनांक 02.01.2013 से अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख. कार्यकाल (TENURE)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्ण–कालिक निदेशकों की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्ण–कालिक निदेशकों की नियुक्ति उनके चार्ज संभालने की तिथि से और उनकी अधिवर्षिता (Superannuation) की तिथि तक 5 वर्षों की होगी या भारत सरकार की ओर से अगले आदेशों तक और जो भी घटनाक्रम से पहले आदेश प्राप्त होगें।

सरकार द्वारा नामित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक, भारत सरकार से सेवानिवृत्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं।

अंश–कालिक, अ–शासकीय निदेशक भारत सरकार की ओर से तीन वर्ष की अवधि तक नियुक्त होंगे।

ग. बोर्ड बैठकें (BOARD MEETINGS)

अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 के बीच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की (124वीं से 127वीं) चार बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसमें एक बैठक प्रत्येक त्रैमासिक में दिनांक 29.06.2012, 09.08.2012, 26.11.2012 और 18.03.2013 को आयोजित की गई।

बैठकें एवं उपस्थिति

निदेशक	कार्यकाल के दौरान कितनी सभा बैठकें आयोजित की गई	उपस्थिति	पिछली वार्षिक साधारण बैठकों में उपस्थिति
श्री ज्ञानेश पाण्डेय	4	4	हां
श्रीमती धरित्री पण्डा	2	2	लागू नहीं
डा. राकेश कुमार	2	2	हां
श्री एस. के. राव	2	2	हां
श्री राजीव टकरू	1	1	हां
श्री एस. के. श्रीवास्तव	1	1	लागू नहीं
श्री देबीदास दत्ता	1	0	लागू नहीं
श्री अनील ए. मसंद	1	1	लागू नहीं
प्रो. सुशील	1	1	लागू नहीं

घ. साधारण निकाय बैठकें

वार्षिक साधारण बैठक (Annual General Meeting)

गत 3 (तीन) वार्षिक साधारण बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई हैं : –

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2011-12	26.09.2012	सांय 05.15 बजे	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2010-11	09.09.2011	सांय 03.30 बजे	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2009-10	30.09.2010	सांय 03.00 बजे	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

ड. निदेशकों का पारिश्रमिक

एक सरकारी कम्पनी होने के नाते, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नियुक्त कम्पनी के कार्यवाहक निदेशकों एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित की नियुक्ति के समय सरकार द्वारा जारी निबंधनों और शर्तों में उल्लिखित वेतनों को पहले ही सरकार द्वारा निश्चित किया गया है, उसी के अनुसार औद्योगिक वेतन मंहगाई भत्ता (आई डी ए) दिया जाता है। कम्पनी नियमों के तहत भत्ते एवं अनुलब्धियां दी जाती हैं।

कम्पनी के अंश–कालिक निदेशकों को उनके बोर्ड निदेशक खाते से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता लेकिन शासकीय कार्यकारी होने के लिए सरकार से उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। अंश–कालिक अशासकीय निदेशक कम्पनी से कोई बैठक भत्ता भी नहीं लेते हैं, सभा निदेशकों द्वारा अनुमोदित किये गये पारिश्रमिक अनुसार कम्पनी के अंश–कालिक अशासकीय निदेशकों को कम्पनी की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति हेतु 2500 / – रूपये बैठक फीस दी जाती है, इसलिए कम्पनी ने अन्य कोई पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की है।

वर्ष के दौरान उपस्थिति हेतु निम्नलिखित भुगतान किया गया है :–

1. श्री अनील ए. मसंद 2500 / – रूपये
2. प्रो. सुशील 2500 / – रूपये

निदेशकों की शेयर–होल्डींग का प्रतिरूप

कुल 2,40,01,800 इक्विटी शेयर पूंजी में से (100 प्रति शेयर के 240018 इक्विटी शेयर) शेयरों का आधिपत्य है।

निदेशक	एच एस सी सी के शेयरों की संख्या
श्री ज्ञानेश पाण्डेय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6
श्री एस. के. राव, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	6
श्री एस. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	शून्य
श्री एस. के. जैन, निदेशक (इंजीनियरिंग)	शून्य
श्री देबीदास दत्ता, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	शून्य
श्री अनील ए. मसंद, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	शून्य
प्रो. सुशील, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	शून्य

इसके अतिरिक्त, इन शेयरों का आधिपत्य भारत के राष्ट्रपति की ओर से है।

च. शेयरधारक शिकायत निवारण समिति

यह कम्पनी पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व में है तथा (जिसके शेयर पंजीकृत नहीं हैं), इसके शेयर महामहिम राष्ट्रपति एवं उनके नामितियों के पूर्णतयाः स्वामित्व में हैं, इसलिए कम्पनी ने कोई शेयरधारक शिकायत निवारण समिति गठित नहीं की है।

छ. पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee)

लोक उद्यम विभाग (DPE) के दिशानिर्देशों के अनुपालन को पूरा करने के लिये दिनांक 18 मार्च, 2013 को बोर्ड की 127वीं बैठक में बोर्ड ने एक पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee) का गठन किया है :–

पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee) की संरचना निम्नलिखित दी गई है :–

श्री देबीदास दत्ता	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	अध्यक्ष
प्रो. सुशील	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	सदस्य
सीए. श्री अनील ए. मसंद	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	सदस्य
सीए. श्री ए. के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	वैकल्पिक सह–सदस्य
श्री अजय सूरी	वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव	समिति सचिव

पारिश्रमिक समिति की पहली बैठक एच एस सी सी कॉरपोरेट कार्यालय, नौएडा में दिनांक 6 मई, 2013 को आयोजित की गई है।

ज. ऑडिट समिति (Audit Committee)

लोक उद्यम विभाग (DPE) के दिशा–निर्देशों के तहत निगमित प्रशासन (Corporate Governance) का अनुपालन करने के लिये दिनांक 18 मार्च, 2013 को बोर्ड की 127वीं बैठक में बोर्ड ने एक ऑडिट समिति (Audit Committee) का गठन किया है :–

ऑडिट समिति (Audit Committee) की संरचना निम्नलिखित दी गई है :–

सीए. श्री अनील ए. मसंद	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	अध्यक्ष
श्री देबीदास दत्ता	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	सदस्य
प्रो. सुशील	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	सदस्य
सीए. श्री ए. के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	वैकल्पिक सह–सदस्य
श्री अजय सूरी	वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव	समिति सचिव

ऑडिट समिति की पहली बैठक एच एस सी सी कॉरपोरेट कार्यालय, नौएडा में दिनांक 14 जून, 2013 को आयोजित की गई है।

झ. कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति

लोक उद्यम विभाग (DPE) के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिये दिनांक 18 मार्च, 2013 को बोर्ड की 127वीं बैठक में बोर्ड ने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति (Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee) का गठन किया है :–

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति की संरचना निम्नलिखित दी गई है :–

प्रो. सुशील	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	अध्यक्ष
सीए. श्री अनील ए. मसंद	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	सदस्य
श्री देबीदास दत्ता	अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	सदस्य
सीए. श्री ए. के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	वैकल्पिक सह–सदस्य
श्री अजय सूरी	वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव	समिति सचिव

ञ. प्रकटीकरण

पूरी अवधि के दौरान, कम्पनी की पार्टियों के साथ लेन–देन एवं व्यापार के संदर्भ में कोई विरोधाभाष नहीं जो कम्पनी के निदेशकों तथा प्रबंधन को प्रभावित करें। इसके अतिरिक्त, एच एस सी सी संस्था की अन्य कोई सहायक कम्पनी नहीं है।

ट. कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति (Management Discussion and Analysis Report)

I. उद्योग की संरचना एवं विकास (Industry Structure & Developments)

एच एस सी सी (H S C C) की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में मार्च, 1983 में की गई थी जिसका प्रशासनिक नियत्रंण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 240 लाख रूपये एवं निवल लाभ 10587.40 लाख रूपये है। कम्पनी की स्थापना के बाद से अब तक कम्पनी ने अपना पूरा कारोबार बिना किसी सरकारी मदद या अन्य किसी स्रोत के किया है। सितम्बर, 2002 में एच एस सी सी को " मिनी रत्न " कम्पनी घोषित किया गया है।

एच एस सी सी (H S C C) कम्पनी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सगंठनों के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं में परामर्शदायी कार्य; जैसे अस्पताल नियोजन, डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रापण कार्यों में सप्लाई एवं निगरानी, चिकित्सा उपस्करों का प्रापण, स्थापना एवं कमीशनिंग इत्यादि कार्य करती है।

एच एस सी सी ने परियोजनाओं के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें ग्राहक की मांग के अनुरूप कम एवं लागत प्रभावी और अभिनव समाधान अभिप्रेरित तथा विशेषज्ञता से ओत–प्रोत अच्छा संयोजन प्रदान करती है। एच एस सी सी ने प्रमुख हैल्थ–केयर परियोजनाएं जैसे; विभिन्न अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्रयोगशालाओं इत्यादि को ना केवल भारत में अपितु विदेशों में सफलतापूर्वक पूरा किया है। कम्पनी अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल कम्प्यूटरीकरण, स्वास्थ्य से संबंधित प्रबंधन, अध्ययन और प्रशिक्षण, भर्ती आदि गतिविधियों में विविधता पूर्वक निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।

एच एस सी सी वर्षों से हैल्थ–केयर के क्षेत्रों में परामर्शदायी सेवाएं प्रदान वाली एक अग्रणी संगठन के रूप में विकसित है। वर्तमान में कम्पनी का ध्यान समूचे भारत में मौजूदा निष्पादन कार्यों पर लगा है किन्तु अभी उत्तर–पूर्व क्षेत्रों में अपने व्यापार को वृद्धि करने में लगी है।

II. शक्ति, कमजोरी, अवसर एवं जोखिम (Strength, Weakness, Opportunities And Threats)

शक्ति (Strength) :

- भारत सरकार का समर्थन और सहायता
- एक ही छत के नीचे परामर्शदायी सेवाओं के विभिन्न आयाम
- बहुपार्श्व धन एवं अतंर्राष्ट्रीय अन्य एजेंसियो के साथ व्यापक अनुभव
- मजबूत क्षमता के साथ जटिल एवं बड़ी परियोजनाओं को संभालने का अनुभव
- परियोजनाओं की गुणवत्ता और उन्हें समय पर पूरा करने के माध्यम से संगठन प्रदर्शन
- योग्य एवं समर्पित तथा योग्य–विहीन कार्य–शक्ति
- एक बेहतरीन तुलन–पत्र (Balance Sheet) हेतु नकदी की आरामदायक स्थिति

कमजोरी (Weakness):

- ज्यादातर कारोबार / व्यापार सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों के साथ होता है।
- व्यापार के समर्थन का आश्वासन राजस्व मॉडल एक बार की बजाय परियोजनाओं के लगातार राजस्व धाराओं की आवर्ती सेवाओं पर आधारित है।
- निजी ठेकेदारों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है।
- भाप संघर्षण असमर्थता

अवसर (Opportunities):

- भवन निर्माण में इंजीनियरिंग एवं रख–रखाव सेवाओं में विविधीकरण की विभिन्न अन्य सेवाएं
- बुनियादी स्वास्थ्य सेवा (सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में) आधारभूत ढ़ांचे के लिये मांग में वृद्धि हेतु निर्धारित किया है
- औषधी / चिकित्सा उपकरण के लिये निरंतर आधार पर प्रापण
- अस्पतालों के लिये अवसरों और सरकारी अस्पतालों में अस्पताल गतिविधियों की आऊट–सोर्सिंग हैंड–होल्डींग
- उपकरण परामर्श (कंसल्टेंसी) के पट्टे
- लम्बी अवधि की रख–रखाव सलाहकार सेवाएं
- आधारभूत वास्तुकला, डिजाइन, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन का आधारभूत कार्य तथा प्रापण गतिविधियों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कौशल विकसित करना
- सुरक्षित ऑडिट

जोखिम (Threats):

- व्यापारिक परियोजनाओं को उत्तर–पूर्व की ओर स्थानांतरण करने / उनके पूरा होने, दीर्घ–कालीन धन की अनुपलब्धता के कारण कारोबार का लम्बे समय के लिये प्रसार ना हो पाना
- तेजी से निजी क्षेत्र में बढ़ते परिचालन के परिदृश्य में अनुभवी कर्मियों की उदासीनता
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOH & FW) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों / उपक्रमों (PSUs) से ली जाने वाली सहायता नीति में बदलाव करके परामर्शी सेवाओं के लिये वैकल्पिक स्रोत के रूप में निजी क्षेत्र से आमंत्रित समर्थन
- निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतियोगियों की एक बड़ी संख्या के साथ खंडित बाजार चरम मुक्त कम करना
- परियोजनाओं के नियंत्रण से परे कारणों में भूमि की अनु–उपलब्धता को रोकने का कारण बनता है
- सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों (PSUs) / फर्मों के बीच प्रतियोगिता व्यापार परियोजनाओं और गैर संबंधित विविधीकरण के लिये उनके द्वारा नामांकन के लिये नुकसान का कारण बनता है
- प्रापण परियोजनाओं के लिये शुल्क की कमी और बड़े छोटे सूक्ष्म कार्य में व्यापार के प्रस्ताव में अग्रणी हानि समनुदेशनों की कमी है

दृष्टिकोण (Outlook):

एच एस सी सी (HSCC) एक बहु–आयामी अनुशासनिक विविध सेवाओं जैसे इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन से ओत–प्रोत कम्पनी है। यह कम्पनी स्वास्थ्य देख–भाल एवं अन्य सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में परामर्श प्रबंधन और प्रापण प्रबंधन सेवा के लिये प्रसिद्ध है। कम्पनी की सेवा–वर्णक्रम सिविल, इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सूचना तकनीकी और चिकित्सा सेवाओं में सहायक क्षेत्रों में व्यवहार्यता अध्ययन, डिजाइन एवं इजीनियरिंग, विस्तृत निविदा दस्तावेज, निर्माण पर्यवेक्षण, व्यापक परियोजना प्रबंधन, खरीद समर्थन सेवाओं को शामिल किया है। इसके महत्वपूर्ण ग्राहक निम्नलिखित हैं :–

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उसके अस्पताल / संस्थान
- विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय
- राज्य सरकार तथा उनके अधीनस्थ अस्पताल / संस्थान
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम / अन्य संस्थान

कम्पनी को विश्व स्तर के परामर्शी संगठन के रूप में विकसित करने के लिए उसे अपने समस्त प्रचालन क्षेत्रों में विविधीकरण एवं रख–रखाव सेवाओं का विस्तार करके ग्राहक की आधारभूत आवश्यकता को मान्यता देनी पड़ती है।

जोखिम एवं चिंताएं (Risks & Concerns)

- कम्पनी के लिये प्रमुख जोखिम एवं चिंताओं का क्षेत्र प्रापण समनुदेशन कार्य में चिंतित और वर्तमान परिदृश्य में सिविल कार्यों में से कुछ में लगातार कम / परामर्श शुल्क संबंधित मंत्रालय से कमी है।

सूचना तकनीकी संबंधित पहल (IT Related Initiatives)

- इंटरनेट कनेक्शन कॉरपोरेट कार्यालय और इकाइयों में स्थापित किया गया है।
- कॉरपोरेट कार्यालय में विभिन्न विभागों के लोकल एरिया नेटवर्क (LAN – Local Area Network) / वैन के माध्यम से जुड़ा हुआ है।
- ई–निविदा गतिविधि

III. वित्तीय प्रदर्शन पर परिचालन प्रदर्शन हेतु सम्मान के साथ चर्चा

कम्पनी की कुल आमदनी अन्य आय 2455.51 लाख रूपये सहित 5835.30 लाख रूपये पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में क्रमश 4457.82 लाख रूपये तथा 1528.96 लाख रूपये थी। वर्ष के दौरान कम्पनी का सकल मार्जिन (Gross Margin) तथा कर पश्चात लाभ (Profit Before Tax) 3632.81 लाख रूपये तथा 3600.73 लाख रूपये गत वर्ष की तुलना में क्रमश 2409.42 लाख रूपये तथा 2351.87 लाख रूपये था।

IV. खण्ड रिपोर्टिंग (Segment Reporting)

लेखा मानक (Accounting Standard) – AS – 17 के अनुसार, परामर्श ही एक रिर्पोटेबल व्यापारी खण्ड है। कम्पनी ने न केवल भारत में अपितु बाहर भौगोलिक परिदृश्य में भी अपने व्यापारिक कार्यकलाप कार्यान्वित किये हैं।

V. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता (Internal Control System And Their Adequacy)

कम्पनी में अन्य कार्यकलापों के साथ–साथ वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, व्यापारिक लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिये कम्पनी में एक आतंरिक नियंत्रण की कुशल प्रणाली व्याप्त है। कार्यात्मकता की क्षमता, कानून और नियमों के साथ निर्धारित अनुपालन नीतियां और प्रक्रियाओं का परिपालन किया जाता है।

आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा कार्य पर बल, पारदर्शिता स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये, कम्पनी आतंरिक लेखा–परीक्षा के लिये चार्टर्ड एकाउटेंट्स की एक फर्म को कार्य सौंपा गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को समय–समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिये ऑडिट कमिटी / बोर्ड (Committee / Board) को पेश की जाती है।

VI. मानव संसाधन विकास (Human Resources Developments)

किसी भी कम्पनी की वास्तविक सम्पत्ति उसका मानव संसाधन होती है। कंपनी में 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार 123 कर्मचारी नियमित (Regular) वेतनमान थे तथा 44 कर्मचारी स्थाई तथा निश्चित–अवधि (Fixed Tenure) के हैं। वर्ष भर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्द–पूर्ण ताल–मेल बना रहा। बदलते परिवेश की आवश्यकतानुसार, एच एस सी सी अपने कर्मचारियों के ज्ञान का निरन्तर उन्नयन करती आ रही है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया तथा कम्पनी की कार्य–प्रगति के लिये कम्पनी में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये हैं, इसके अतिरिक्त कम्पनी इस दिशा में उनकी दक्षता में और बढ़ोतरी हेतु उनका विकास किया जा रहा है। कम्पनी अपने कर्मचारियों को निरन्तर अभिप्रेरित करने के लिए कर्मचारियों एवं उनकी फैमली के लिये विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों एवं हित–लाभ, पारिवारिक मेल–मिलाप, पिकनिक, वार्षिक दिवस इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

ठ. आचार संहिता (Code of Conduct)

कम्पनी के बोर्ड ने बोर्ड के सभी सदस्यों और कम्पनी के समस्त वरिष्ठ प्रबंधन के लिये आचार संहिता निर्धारित की है। जिसे सभी संबंधित अधिकारियों तथा कार्यपालकों को ई–मेल द्वारा साथ ही साथ हार्ड–कॉपी के माध्यम से वितरित किया गया है। बोर्ड के सभी सदस्यों और नामित वरिष्ठ प्रबंधन ने कार्मिक आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ड. लोक उद्यम विभाग में तिमाही रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण

लोक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा निर्धारित प्रारूपानुसार तिमाही रिपोर्टों को निगमित शासन प्रणाली के मार्गदर्शी सिद्धातों के तहत, निगमित शासन प्रणाली की स्थिति को सूचित करते हुये इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में जमा कर दिया जाता है।

अनुबन्ध - III

(निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

अनुपालन प्रमाण पत्र
फार्म (नियम 3 देखें)

सेवामें,

सदस्यगण,
एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

सी आई एन : यू 74140 डी एल 1983 जी ओ आई 015459
प्राधिकृत पूंजी : 5,00,00,000/– रूपये
चुकता पूंजी : 2,40,01,800/– रूपये

हमने कम्पनी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बने नियमों एवं मेमोरण्डम में यथालिखित उपबंधों और कम्पनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की यथापेक्षानुसार मैसर्स एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के रजिस्टरों, अभिलेखों, बही एवं कागजातों की जांच कर ली है। हमारे विचार में और पूर्ण सूचना तथा की गयी जांच और कम्पनी व इसके अधिकारियों द्वारा हमें सुलभ कराये गये विवरणों के अनुसार हम उक्त वित्त वर्ष के मामले में निम्नलिखित प्रमाणित करते हैं :–

1. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने उपबंधों व उनके तहत बने नियमों के अनुसार निम्नलिखित रजिस्टरों को बनाया है व उनका रख–रखाव किया है तथा उनमें सभी प्रविष्टियां विधिवत की गयी हैं :–

क्रम सं.	कम्पनी द्वारा रखे गये रजिस्टर	धारा के तहत	टिप्पणियाँ
1.	सदस्यों का रजिस्टर	150	अद्यतन
2.	रजिस्टर एवं रिटर्न	163	अद्यतन
3.	बैठकों का कार्यवृत्त	193	अद्यतन
4.	लेखा बही	209	अद्यतन
5.	अंतरण रजिस्टर	108	अद्यतन
6.	शेयर आवेदन राशि एवं शेयर आबंटन रजिस्टर	150	अद्यतन
7.	कांट्रैक्ट का विवरण–रजिस्टर जिसमें निदेशकों की रुचि है	301	अद्यतन
8.	निदेशकों, प्रबंध निदेशकों, प्रबन्धकों एवं सचिवों का रजिस्टर	303	अद्यतन
9.	निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर	307	अद्यतन
10.	निदेशकों का उपस्थिति रजिस्टर	193	अद्यतन
11.	स्थायी सम्पत्ति रजिस्टर	209	अद्यतन
12.	लाभांश रजिस्टर	205	अद्यतन

2. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों में निर्धारित प्राधिकरण कम्पनियों के रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार, कम्पनी विधि बोर्ड तथा अन्य प्राधिकारियों के समक्ष निम्नलिखित फार्म व रिटर्न जमा कराए हैं :–

वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा जमा किये गये फार्म / रिटर्न

क्र.सं.	फार्म संख्या	प्राधीकरण जिसके तहत फार्म / रिटर्न जमा करा गया	धारा के तहत	टिप्पणियां		
1.	फार्म 66	कम्पनी रजिस्ट्रार	383 ए	वार्षिक साधारण बैठक जमा कराने की तिथि रसीद संख्या	: : :	26.09.2012 12.10.2012 पी 90036245
2.	फार्म 20 बी	कम्पनी रजिस्ट्रार	159	वार्षिक साधारण बैठक जमा कराने की तिथि रसीद संख्या	: : :	26.09.2012 27.11.2012 क्यू 02987279
3.	फार्म 23 ए सी तथा 23 ए सीए	कम्पनी रजिस्ट्रार	220	वित्तीय वर्ष जमा कराने की तिथि रसीद संख्या	: : :	31.03.2012 13.11.2012 पी 95825576

वर्ष 2012–13 के दौरान जमा किये गये फार्म 32 का विवरण

1	फार्म 32*	कम्पनी रजिस्ट्रार	303 (2)	वित्तीय वर्ष जमा कराने की तिथि रसीद संख्या	: 26.07.2012 : 03.09.2012 : बी 56700792
2	फार्म 32**	कम्पनी रजिस्ट्रार	303 (2)	वित्तीय वर्ष जमा कराने की तिथि रसीद संख्या	: 21.09.2012 : 17.11.2012 : बी 61924585
3	फार्म 32***	कम्पनी रजिस्ट्रार	303 (2)	वित्तीय वर्ष जमा कराने की तिथि रसीद संख्या	: 21.09.2012 : 28.03.2013 : बी 71404339
4	फार्म 32****	कम्पनी रजिस्ट्रार	303 (2)	वित्तीय वर्ष जमा कराने की तिथि रसीद संख्या	: 02.01.2013 : 25.03.2013 : बी 71158166
5	फार्म 32*****	कम्पनी रजिस्ट्रार	303 (2)	वित्तीय वर्ष जमा कराने की तिथि रसीद संख्या	: 27.02.2013 : 25.03.2013 : बी 71165633

* फार्म संख्या 32 द्वारा, दिनांक 26.07.2012 से श्री ज्ञानेश पाण्डेय की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेश के रूप में नियुक्ति

** फार्म संख्या 32 द्वारा, दिनांक 21.09.2012 से श्री राजीव टकरू तथा श्री एस. के. राव का निदेशक के रूप में नियुक्ति

*** फार्म संख्या 32 द्वारा, दिनांक 21.09.2012 से श्रीमती धरित्री पण्डा तथा डा. राकेश कुमार की निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति

**** फार्म संख्या 32 द्वारा, दिनांक 02.01.2013 से श्री देबीदास दत्ता, प्रो. सुशील तथा श्री अनील ए. मसंद का निदेशक के रूप में नियुक्ति

***** फार्म संख्या 32 द्वारा, दिनांक 27.02.2013 से श्री एस. के. श्रीवास्तव, निदेशक के रूप में नियुक्ति तथा दिनांक 27.02.2013 को श्री राजीव टकरू का निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति

3. भारत सरकार का उपक्रम होने के नाते कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 2,40,01,800/– रुपये है और हमें दी गयी सूचना व विवरण के अनुसार 31 मार्च, 2013 से उसके सदस्यों की संख्या **नौ** है। शेयर धारकों का विवरण नीचे दिया गया है : –

क्र.सं.	शेयर धारकों का विवरण	शेयरों की संख्या	क्रमांक	शेयर प्रमाण पत्र सं.	लेजर फोलियो
1.	भारत के राष्ट्रपति	5994	1–5994	000003	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	10000	6001–16000	000010	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	24000	16001–40000	000011	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	17982	40004–57985	000015	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	30000	57986–87985	000016	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	72000	87986–159985	000017	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	79988	160013–240000	000027	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	1	40002	000013	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	3	159986–159988	000018	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	2	240017–240018	000036	2/I
2.	डा. आर. एस. शुक्ला	1	5995	000004	17/III
	डा. आर. एस. शुक्ला	3	159989–159991	000019	17/III
	डा. आर. एस. शुक्ला	2	240001–240002	000028	17/III
3.	डा.(प्रो.) जगदीश प्रसाद भूतपूर्व डी.जी.एच.एस.	1	5996	000007	18/III
	डा.(प्रो.) जगदीश प्रसाद भूतपूर्व डी.जी.एच.एस.	3	159992–159994	000020	18/III
	डा.(प्रो.) जगदीश प्रसाद भूतपूर्व डी.जी.एच.एस.	2	240003–240004	000029	18/III

4.	श्री अरूण पाण्डा (जे. एस.) श्री अरूण पाण्डा (जे. एस.) श्री अरूण पाण्डा (जे. एस.)	1 3 2	5997 159995–159997 240005–240006	000006 000021 000030	15 / III 15 / III 15 / III
5.	श्रीमती सकुन्तला डी. गैम्लीन जे. एस. (ए) श्रीमती सकुन्तला डी. गैम्लीन जे. एस. (ए) श्रीमती सकुन्तला डी. गैम्लीन जे. एस. (ए)	1 3 2	5998 159998–160000 240007–240008	000009 000022 000031	13 / III 13 / III 13 / III
6.	श्री केशव देसीराजु (ए. एस. – स्वा. एवं परि. कल्या.) श्री केशव देसीराजु (ए. एस. – स्वा. एवं परि. कल्या.) श्री केशव देसीराजु (ए. एस. – स्वा. एवं परि.कल्या.)	1 3 2	5999 160001–160003 240009–240010	000005 000023 000032	16 / III 16 / III 16 / III
7.	डा. राकेश कुमार (जे. एस.) डा. राकेश कुमार (जे. एस.) डा. राकेश कुमार (जे. एस.)	1 3 2	6000 160004–160006 240011–240012	000008 000024 000033	19 / III 19 / III 19 / III
8.	श्री ज्ञानेश पाण्डेय (अ. एवं प्र. नि.– एच एस सी सी) श्री ज्ञानेश पाण्डेय (अ. एवं प्र. नि.– एच एस सी सी) श्री ज्ञानेश पाण्डेय (अ. एवं प्र. नि.– एच एस सी सी)	1 3 2	40001 160007–160009 240013–240014	000012 000025 000034	21 / III 21 / III 21 / III
9.	श्री एस. के. राव, (जे. एस.) श्री एस. के. राव, (जे. एस.) श्री एस. के. राव, (जे. एस.)	1 3 2	40003 160010–160012 240015–240016	000014 000026 000035	20 / III 20 / III 20 / III

4. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार निदेशक मण्डल की विधिवत **चार** बैठकें आयोजित की गयी, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। उक्त बैठकों के संबंध में विधिवत सूचना दी गयी थी और कार्यवाहियों को उचित रूप में रिकार्ड व हस्ताक्षरित किया गया था जिसमें पारित संकल्पों को कार्यवृत्त हेतु रखे गए रजिस्टर में विधिवत रिकार्ड किया गया।

निदेशक मण्डल की बैठकों की तारीख

बैठक संख्या	बैठक आयोजित होने की तारीख	टिप्पणियाँ
124वीं	29.06.2012	बैठक संयुक्त सचिव तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में आयोजित की गयी, उचित सूचना दी गयी और कार्यवाहिया विधिवत रिकार्ड की गयीं।
125वीं	09.08.2012	बैठक संयुक्त सचिव तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में आयोजित की गयी, उचित सूचना दी गयी और कार्यवाहिया विधिवत रिकार्ड की गयीं।
126वीं	26.11.2012	बैठक निमहंस (N I M H A N S) बैंगलोर के कार्यालय में आयोजित की गयी, उचित सूचना दी गयी और कार्यवाहियां विधिवत रिकार्ड की गयीं।
127वीं	18.03.2013	बैठक कमरा नम्बर 151–ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गयी, उचित सूचना दी गयी और कार्यवाहियां विधिवत रिकार्ड की गयीं।

5. कम्पनी के लिए वित्त वर्ष के दौरान इसके सदस्यों का रजिस्टर बन्द करना अपेक्षित नहीं था।

6. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी के सदस्यों को उचित सूचना देकर 31.03.2012 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक आम सभा बैठक 26.09.2012 को आयोजित की गयी और इस बैठक में पारित संकल्पों को कार्यवृत्त हेतु रखी गयी पुस्तक में विधिवत रिकार्ड किया गया।

7. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कोई विशेष आम सभा बैठक आयोजित नहीं की गयी है।

8. भारत सरकार का एक उपक्रम होने के नाते कम्पनी के निदेशकों को दिए गए सभी ऋण एवं पेशगियां कम्पनी द्वारा उनके लिए विशेष रूप से निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार हैं।

9. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने अधिनियम की धारा 297 के तहत आने वाले किसी ठेके पर दिनांक 31.01.1978 जी. एस. आर. संख्या 233 अधिसूचना के तहत मिलने वाली छूट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

10. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी के लिए अधिनियम की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है तथा धारा 297 के अधीन समीक्षा से कम्पनी को छूट प्राप्त है जोकि दिनांक 31.01.1978 जी. एस. आर. संख्या 233 अधिसूचना के तहत मिलने वाली छूट पर कोई प्रविष्टि करनी अपेक्षित नहीं थी।

11. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया जो अधिनियम की धारा 314 के तहत आता हो।

12. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान किसी अंष प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी नहीं की है।

13. हमें उपलब्ध करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार : –

(i) वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शेयर आबंटित / प्रसारण नहीं किया गया था।

(ii) इस वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने लाभांश की निम्नलिखित राशि की घोषणा की एवं भुगतान किया :–

क्र.सं.	विवरण	घोषित लाभांश की राशि	लाभांश घोषित करने की तिथि	लाभांश भुगतान करने की तिथि
1.	अन्तिम लाभांश	3,00,02,250 / –	26.09.2012 (वार्षिक आम सभा बैठक)	10.10.2012

इस कम्पनी ने भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में होने के नाते लाभांश भुगतान हेतु बैंक में अलग से 27.09.2001 से खाता रखा है और कम्पनी के किसी सदस्य को लाभांश वारंट भेजने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि लाभांश की राशि भारत सरकार के खाते में सीधे ही जमा की गयी।

(iii) लाभांश, वापसी हेतु देय आवेदन राशि, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर्स तथा उन पर देय ब्याज सहित भुगतान न की गयी ऐसी कोई राशि प्रकाश में नहीं आयी जो सात वर्ष की अवधि से दावा न किए जाने अथवा भुगतान न किए जाने के कारण अभी तक शेष हो।

(iv) कम्पनी ने अधिनियम की धारा 217 का यथापेक्षानुसार पालन किया है।

14. कम्पनी के निदेशक मण्डल का विधिवत गठन हुआ है और निदेशकों की नियुक्ति विधिवत की गयी है। कम्पनी में इस कार्यावधि में कोई भी निदेशक सेवानिवृत नहीं हुआ है।

वर्ष 2012–13 के दौरान निदेशक मंडल का विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डी.आई.एन.	नियुक्ति की की तारीख	त्यागपत्र की तारीख	नियुक्ति हेतु प्राधिकारी	धारा के तहत
1.	श्री ज्ञानेश पाण्डेय निदेशक (इंजीनियरिंग)	03555957	31.05.2011	25.07.2012	भारत सरकार	617
2.	श्री ज्ञानेश पाण्डेय अ. एवं प्र.नि. (एच एस सी सी)	03555957	26.07.2012	––	भारत सरकार	617
3.	श्रीमती धरित्री पण्डा	05112949	04.08.2011	21.09.2012	भारत सरकार	617
4.	डा. राकेश कुमार	05250279	23.03.2012	21.09.2012	भारत सरकार	617
5.	श्री राजीव टकरू	02023255	21.09.2012	27.02.2013	भारत सरकार	617
6.	श्री एस. के. राव	06426779	21.09.2012	––	भारत सरकार	617
7.	श्री एस. के. श्रीवास्तव	01658754	27.02.2013	––	भारत सरकार	617
8.	श्री देबीदास दत्ता	00229856	02.01.2013	––	भारत सरकार	617
9.	प्रो. सुशील	05300091	02.01.2013	––	भारत सरकार	617
10.	श्री अनील ए. मसंद	03520037	02.01.2013	––	भारत सरकार	617

- दिनांक 26.07.2012 से श्री ज्ञानेश पाण्डेय की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) के रूप में नियुक्ति

- दिनांक 21.09.2012 से श्रीमती धरीत्री पण्डा, मुख्य लेखा नियंत्रक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा डा. राकेश कुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्थान पर श्री राजीव टकरू (अतिरिक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) तथा श्री एस. के. राव, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अंश–कालिक, शासकीय निदेशक नामित (Nominated) किया गया है।

- दिनांक 27.02.2013 से श्री राजीव टकरू (अतिरिक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) के स्थान पर श्री एस. के. श्रीवास्तव (अतिरिक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) को अंश–कालिक, शासकीय निदेशक नामित (Nominated) किया गया है।

- दिनांक 02.01.2013 से श्री देबीदास दत्ता, प्रो. सुशील तथा श्री अनील ए. मसंद को अंश–कालिक, अ–शासकीय निदेशक नामित (Nominated) किया गया है।

15. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रबंध निदेशक / पूर्ण–कालिक निदशक / प्रबंधक की नियुक्ति नहीं की है।

16. हमें सुलभ करायी गयी सूचना एवं विवरण के अनुसार कम्पनी ने इस वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सोल बिक्री एजेंट की नियुक्ति नहीं की है।

17. हमें सुलभ करायी गयी सूचना एवं विवरण के अनुसार कम्पनी के लिए वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के तहत निर्धारित केन्द्र सरकार अथवा ऐसे ही अन्य प्राधिकारियों से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

18. निदेशकों की रूचि को पूर्ण प्रकट किया गया है।

19. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान कोई शेयर जारी नहीं किया है।

20. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान किसी भी शेयर की वापसी खरीद नहीं की है।

21. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी के पास वरीयमान शेयर अथवा डिबेन्चर्स नहीं हैं।

22. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी को शेयर के अंतरण का पंजीकरण लम्बित होने के कारण लाभांश, राइट शेयर तथा बोनस शेयर संबंधी कोई भी लेन–देन स्थगित रखने की आवश्यकता नहीं थी।

23. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान धारा 58ए के तहत आने वाली किसी भी जमा अथवा अप्रत्याभूत ऋणों को आमंत्रित / स्वीकार नहीं किया है।

24. कम्पनी ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कोई भी उधार नहीं लिया है।

25. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऋण अथवा पेशगी नहीं दी है और न ही किसी अन्य कॉरपोरेट संकाय को गारण्टी अथवा प्रतिभूति प्रदान की है। फलस्वरूप इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गयी है।

26. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थिति ज्ञापन के उपबंधों में परिवर्तन नहीं किया है।

27. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के उद्देश्यों के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में परिवर्तन नहीं किया है।

28. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के नाम के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

29. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की शेयर पूंजी के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

30. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्था के अंतर्नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

31. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम के तहत अपराध होने के प्रति कम्पनी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गयी और न ही कम्पनी को कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ और न ही कम्पनी पर कोई आर्थिक दण्ड या जुर्माना अथवा अन्य कोई दण्ड लगाया गया है।

32. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी को वित्त वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों से कोई राशि अथवा प्रत्याभूति प्राप्त नहीं हुई है।

33. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान भविष्य निधि के प्रति अंशदान की कटौती की है और इसे कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों के अंशदान को कम्पनी अधिनियम 1956, की धारा 418 के तहत प्राधिकरण में जमा कराया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.05.2013

हस्ताक्षर :
कम्पनी सचिव का नाम : प्रवीन रस्तोगी
सदस्यता संख्या : 2883

कृते प्रवीन रस्तोगी एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव

अनुबन्ध - IV

(निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में दी गयी टिप्पणियों के प्रत्युत्तर

राय (Opinion)

(i) टिप्पणी संख्या – 19(ii) : एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – C R I, Kasauli) में आयी छोटी–मोटी त्रुटियों को ठीक करने के संदर्भ में, कम्पनी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये (निर्माण पर ढ़ांचे का खर्चा) अनुमानित आधी लागत राशि को वहन करना मंजूर किया है। इस विषय एवं इससे विषयों से संबंधित पर वर्ष के दौरान इसका अग्रेषित विकास किया गया, देयता राशि को अभी निश्चत नहीं किया गया है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 19(ii), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(ii) टिप्पणी संख्या – 19(iii) : कम्पनी द्वारा 1704.77 लाख रूपये जमा करने के बारे में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य परियोजनाओं से जमा किया हुआ है, दायित्व यदि कोई हो, तो इस संबंध में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 19(iii), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(iii) टिप्पणी संख्या – 19(iv) : ग्राहक के कायिक खातों (Corpus Accounts) को क्रेडिट हेतु विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता, वर्ष के दौरान इसमें ग्राहक की निधि (कायिक खाते / Corpus Account) से 1296.44 लाख रूपये (गत वर्ष 664.02 लाख रूपये) की राशि पर ब्याज राशि से कम्पनी की आय हुई है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 19(iv), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(iv) टिप्पणी संख्या – 19(vi) : व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देनदारियां, ऋण और अग्रिम, जमा और मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से अन्य शेष राषि की शेष सुलह और पुष्टि के अधीन है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 19(vi), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(v) टिप्पणी संख्या – 19(viii) : पुराने क्रेडिट शेष बकाया अ–समायोजित राशि के संदर्भ में, 2996.53 लाख रूपये ग्राहकों के जमा खातों में पड़े हैं।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 19(viii), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

क. अनुलग्नक का पैरा iv

संप्रेक्षण (Observation)

– ग्राहकों की ओर से कम्पनी की संबंधित परियोजनाओं के ठेकेदारों द्वारा पूरे किये गये कार्यों के लिये आर. ए. (R.A.) बिलों के जमा करने में हुई देरी के लिये मान्य है। कुछ मामलों में इस तरह की देरी चार से नौ महीने अवधि की होती है।

प्रत्युत्तर : अनुपालन हेतु दर्ज किया गया है।

संप्रेक्षण (Observation)

– परामर्श शुल्क के प्रतिशत के मामले में विविध देनदार वर्ष के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है। लेखों में डेबिटों को संग्रह करने को मजबूत बनाया जायेगा।

प्रत्युत्तर : विविध देनदार सख्ती से वसूली के लिये अपनाई जा रही है।

संप्रेक्षण (Observation)

– कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये कुछ खर्चों को पूरा करने के लिये अग्रिम / कर्मचारियों की अग्रिम राशि पर नजर रखने एवं उसको मजबूत किया जाना चाहिए। इन खातों में से कुछ बकाया शेष प्रकट करते हैं।

प्रत्युत्तर : अनुपालन हेतु दर्ज किया गया है।

संप्रेक्षण (Observation)

– आम–तौर पर राजस्व व्यय में कमी की गई थी, यह राशि कार्यालय की मरम्मत और बिल्डिंग के रख–रखाव करने पर खर्च करने के उद्देश्य से बढ़ गया था। नवीनीकरण (Renovation) का काम कर्मचारियों के अग्रिम के माध्यम से विभागीय रूप में किया गया था।

प्रत्युत्तर : व्यय कुल राजस्व बजट के भीतर है।

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2013 को **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड** के समाप्त वर्ष के लेखों का विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत मानकों को ध्यान में रखकर निर्धारित वित्तीय फ्रेंमवर्क अनुसार बनाये गयें हैं जिसके लिये कम्पनी का प्रबंधन समूह जिम्मेदार है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परिक्षकों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत स्वतंत्र एवं स्वायत्त रूप से निर्मित इन वित्तीय लेखा विवरणों के लिये जिम्मेदार हैं तथा इन पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं, जिसके लिये निर्धारित स्वायत्त इकाई भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अनुमानित आडिटिंग एवं अनुपालनात्मक राय व्यक्त कर सकते हैं। यह विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा **02.07.2013** को प्रदान आडिट रिपोर्ट अनुसार प्रदान किया जाता है।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के तहत, **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड** की दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर एक अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की। इस अनूपूरक लेखापरीक्षा का स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों से करवाया जाता है, जिसे लेखापरीक्षकों के काम के कागजात के लिये उपयोग के बिना किया जाता है, इसमें सांविधिक लेखापरीक्षक कम्पनी के कर्मियों तथा लेखा अभिलेखों में एक चयनात्मक परीक्षा की जांच के लिये मुख्य रूप से सीमित है।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड** के दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के खातों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं की है तथा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत इस पर कोई टिप्पणियाँ नहीं है।

कृते, भारत के नियंत्रक और
महालेखा परीक्षक की ओर से

(नैना ए. कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV

स्थान :– नई दिल्ली
दिनांक :– 24.07.2013

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवामें,

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
के सदस्यो के लिए

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड ("कम्पनी) के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2013 का तुलन पत्र भी है, जिसमें समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ एवं हानि लेखों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों का सारांश दिया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को सही और निष्पक्ष तैयार करने के लिये प्रबंधन जिम्मेदार है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप–धारा (3 सी) (अधिनियम) के तहत आम–तौर पर भारत में मान्य लेखा विवरणों एवं लेखांकन मानकों के तहत तैयार करने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं जो उसकी साफ–सुथरी वित्तीय स्थिति एवं विवरणों को दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा आन्तरिक नियंत्रण के रख–रखाव से संबंधित कार्य तथा वित्तीय विवरणों को बनाने एवं उनकी तैयारी से संबंधित समस्त तथ्य शामिल हैं जिसमें सामग्री गलत से मुक्त, चाहे उसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, इन वित्तीय विवरणों को मुक्त होकर निष्पक्ष एवं सही तैयार किया गया है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के आधार पर एक राय व्यक्त करना है। हमने इस ऑडिट प्रक्रिया को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा ऑडिट प्रक्रिया के लिये जारी किए गए मानको के तहत किया है। ऑडिट के लिये हमने उन मानको को अपनाया है जिनकी योजना एवं नैतिकता के आधार पर जरूरत होती है एवं जिसमें उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिये लेखा परीक्षा प्रदर्शन के लिये चाहे वो वित्तीय विवरण में सामग्री के गलत बयान से संबंधित हों, लेखा परीक्षा के लिये आवश्यकता होती है।

इस ऑडिट को उपलब्ध किये गये राशियों से संबंधी तथ्यों के तहत तैयार किया गया है जिनको प्रकटन एवं उल्लेख वित्तीय विवरणों में कर दिया गया है। यह चयनित प्रक्रियाएं लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जो माल के वित्तीय विवरण के गलत ब्यान के जोखिम का मूल्यांकन सहित, जोकि त्रुटि की धोखाधड़ी की वजह से है या नहीं है। उन जोखिम आकलन करने में, ये लेखा परीक्षक परिस्थितियों में उपयुक्त हैं जो लेखा–परीक्षा / ऑडिट प्रक्रिया को डिजाइन करने के क्रम में कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण की तैयारी के लिये प्रासंगिक और वित्तीय विवरणों की निश्पक्ष प्रस्तुति के आवश्यक समझी जाती हैं। इस लेखा–परीक्षा / ऑडिट में लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखा की तर्कसंगतता के मूल्यांकन के अलावा इसमें प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान भी शामिल हैं, साथ ही साथ जिन्हें वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति के मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

हमें विश्वास है कि लेखा–परीक्षा से संबंधित उपलब्ध कराये गये साक्ष्य पर आधारित ऑडिट हमारी राय में सही है एवं उसी पर आधारित हैं।

राय (Opinion)

निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यानाकृर्षित किया जाता है जो लेखा अनुसूची 19 की भाग हैं :–

(i) टिप्पणी संख्या – 19(ii) : एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – C R I, Kasauli) में आयी छोटी–मोटी त्रुटियों को ठीक करने के संदर्भ में, कम्पनी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये (निर्माण पर ढ़ांचे का खर्चा) अनुमानित आधी लागत राशि को वहन करना मंजूर किया है। इस विषय एवं इससे विषयों से संबंधित पर वर्ष के दौरान इसका अग्रेषित विकास किया गया, देयता राशि को अभी निश्चत नहीं किया गया है।

(ii) टिप्पणी संख्या – 19(iii) : कम्पनी द्वारा 1704.77 लाख रूपये करने के बारे में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य परियोजनओं से जमा किया हुआ है, दायित्व यदि कोई हो, तो इस संबंध में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

(iii) टिप्पणी संख्या – 19(iv) : ग्राहक के कायिक खातों (Corpus Accounts) को क्रेडिट हेतु विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता, वर्ष के दौरान इसमें ग्राहक की निधि (कायिक खाते / Corpus Account) से 1296.44 लाख रूपये (गत वर्ष 664.02 लाख रूपये) की राशि पर ब्याज राशि से कम्पनी की आय हुई है।

(iv) टिप्पणी संख्या – 19(vi) : व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देनदारियां, ऋण और अग्रिम, जमा और मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से अन्य शेष राशि की शेष सुलह और पुष्टि के अधीन है।

(v) टिप्पणी संख्या – 19(viii) : पुराने क्रेडिट शेष बकाया अ–समायोजित राशि के संदर्भ में, 2996.53 लाख रूपये ग्राहकों के जमा खातों में पड़े हैं।

उक्तरोक्त उप–अनुच्छेद (i) और (v) में की गयी हमारी टिप्पणी के रहते हमारे विचार में, हमारी पूर्व सूचना तथा उपलब्ध कराए गए विवरणों के अनुसार भारत में स्वीकृत महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा उन पर दी गई टिप्पणियों के साथ तदनुसार, पठित उक्त लेखे कम्पनी अधिनियम के तहत आवश्यक सूचना उस ढंग से प्रदान करते हैं, जो निम्न संदर्भ में सत्य एवं स्पष्ट है :–

(i) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के सरकारी मामलों पर ; और

(ii) लाभ एवं हानि लेखा के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ पर।

कृते एवं उनकी ओर से

जिंदल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 00844 एन

डा. बी. एस. जिंदल
भागीदार
सदस्यता संख्या : 07331

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.07.2013

कानूनी एवं नियामक अन्य आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम, 2003 (''आदेश'') की धारा 227 (4ए) के अनुसार, इस दिशा में केन्द्रीय भारत सरकार द्वारा यथा संशोधित, हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 व 5 में उल्लिखित मामलों पर एक विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 227(3) के द्वारा जरूरी है, हम रिपोर्ट देते हैं कि :–

   क हमने वह सभी सूचना एवं विवरण प्राप्त किए जो हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के लिए लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक थे।

   ख हमारे विचार से जहां तक खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार यथा अपेक्षित लेखा बहियां रखी हैं।

   ग इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र और लाभ–हानि खाते लेखा बहियों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

   घ हमारी राय में जहां तक इस कंपनी में लागू होने का प्रश्न है, इसके तुलन पत्र तथा लाभ–हानि लेखा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप–धारा (3 सी) के संदर्भ में आवश्यक लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

   ड़ वित्त मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (जी) की उप–धारा (1), दिनांक 21.10.2003 अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 829(ई) के तहत सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होती।

कृते एवं उनकी ओर से
जिंदल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 00844 एन

डा. बी. एस. जिंदल
भागीदार
सदस्यता संख्या : 07331

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.07.2013

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को 31.03.2013 को समाप्त वर्ष का स्वतंत्र लेखा परीक्षों द्वारा की गई रिपोर्ट का अनुबंध

" कानूनी और नियामक अन्य आवश्यकताओं पर रिपोर्ट " के शीर्षक के तहत पैरा–1 में संदर्भित, हमारी सम–संख्यक तिथि की रिपोर्ट के बारे में, हम निम्नलिखित रिपोर्ट देते हैं कि :

(i) (क) कम्पनी ने मात्रा संबंधी विवरणों एवं अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित अभिलेखों का उचित रख–रखाव किया है।

(ख) जैसा हमें सूचित एवं स्पष्ट किया गया, कि कम्पनी में समस्त स्थायी परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जांच की प्रक्रिया युक्तियुक्त एवं उचित है, जोकि कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों की मूल राशि एवं उसके आकार पर आधारित है। कम्पनी के चार्टर्ड एकाउंटेंड की एक फर्म द्वारा किए गए वर्ष 2012–13 के लिए तय की परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन और मामूली अंतर के लिए इस तरह के भौतिक सत्यापन के बाहर उत्पन्न आवश्यक समायोजन कर दिया।

(ग) हमारी राय में एवं जैसा हमें सूचित एवं स्पष्ट किया गया है कि वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी स्थायी परिसम्पत्तियों के भौतिक भाग का निपटान नहीं किया है।

(ii) क्योंकि कम्पनी द्वारा कोई माल–सूची नहीं बनायी जाती है, इसलिए पैराग्राफ 4(ii)(क), 4(ii)(ख) तथा 4(ii)(ग) लागू नहीं होता।

(iii) कम्पनी ने, अधिनियम, 1956 (अधिनियम) ए की धारा 301 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कम्पनी संगठन से / अथवा अन्य पार्टियों तथा / अथवा कम्पनी से किसी प्रकार का आरक्षित अथवा अनारक्षित ऋण नहीं लिया है, इसलिए पैराग्राफ 4(iii)(क) से 4(iii)(ड) तक आदेश लागू नहीं होते।

(iv) हमारे विचार में और सुलभ करायी गयी सूचना और विवरणों के अनुसार जहां तक उपस्करों एवं अन्य सम्पत्तियों का मामला है तो कम्पनी में इसके आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए स्थायी परिसंम्पत्तियों की खरीद एवं सेवाओं की बिक्री संबंधी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण पद्धतियां तथा ग्राहकों की ओर से भौतिक पदार्थों / उपस्करों का प्रापण भी किया जाता हैं। हमारे विचार में तथा स्थायी परिसंम्पत्तियों की खरीद एवं सेवाओं की बिक्री संबंधी जो प्रणाली के मामले में भी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण पद्धतियां तथा ग्राहकों की ओर से भौतिक पदार्थों / उपस्करों का प्रापण भी किया जाता हैं। अतः निम्नलिखित बिन्दु पाये गये हैं :–

- आमतौर पर यह देरी ग्राहकों की ओर से कम्पनी द्वारा प्रबंधित परियोजनाओं के लिये ठेकेदारों द्वारा आर.ए. (R.A.) एवं अंतिम बिलों के देरी से दिये जाने में देरी कारण हुई है। कुछ मामलों में इस तरह की देरी 4 से 7 महीनों की अवधि की होती है।
- परामर्श शुल्क के प्रतिशत के मामले में विविध देनदार से वर्ष के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है। यहां पुस्तक ऋण संग्रह को मजबूत बनाई जानी चाहिए।
- कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संदर्भ में कुछ खर्चों को पूरा करने के लिये अग्रिमों / पेशगियों (Advance / Imprests) पर नजर रखकर उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए। इन खातों में से कुछ बकाया शेष प्रकट किया जाना चाहिए।
- आमतौर पर राजस्व व्यय में कमी की गई थी, अतः यह माना जाता है कि मरम्मत और कार्यालय की बिल्डिंग के रख–रखाव और कार्यालय–भवन की मरम्मत पर खर्च करने की वजह से बढ़ गया था। नवीनीकरण का काम कर्मचारियों के अग्रिम के माध्यम से विभागीय रूप से किया गया था।
- कम्पनी का मुख्य व्यवसाय परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करना है, अतः खरीदी गई वस्तुओं की बिक्री और उनकी इन्वेंटरी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(v) हमें सुलभ करायी गयी सूचना व विवरणों एवं अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा 301 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में किसी भी लेन–देन को उल्लिखित करने की आवश्यकता नहीं है तथा इसलिये पैराग्राफ 4(V)(क) और 4(V) (ख) के आदेश कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(ix) (क) हमें सुलभ करायी गयी सूचना एवं विवरणों के अनुसार, सामान्यतः कम्पनी भविष्य, आयकर तथा सीमा–शुल्क निधि देयताओं को नियमित रूप से जमा करती है तथा कम्पनी पर आयकर, सीमा शुल्क के रूप में कोई भी ऐसी विवादित राशि बकाया नहीं है, जो 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक अवधि तक बकाया रही हो। हमें कम्पनी के प्रबंधक वर्ग द्वारा सूचित किये गये विवरणों के अनुसार, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि तथा उपकर, कर्मचारी राज्य बीमा, सम्पत्ति कर, बिक्री कर तथा उत्पाद शुल्क के रूप में कोई भी ऐसी विवादित राशि बकाया नहीं है।

(ख) कम्पनी पर किसी भी प्रकार का आयकर / बिक्री–कर / सम्पत्ति–कर / सेवा कर / सीमा–शुल्क / उत्पाद–शुल्क / मामलों से संबंधित कोई भी विवादित मामला लम्बित नहीं है। फिर भी, आयकर प्राधिकरण के समक्ष आई.टी.ए.टी. (ITAT) से पहले कम्पनी पर आकलन वर्ष 2005–06 हेतु 388.86 लाख रूपये तथा वर्ष 2008–09 के लिए 6.29 लाख रूपये आयकर की मांग के खिलाफ अपील लम्बित है।

(x) कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान ना तो किसी हानि का संचय किया ना ही किसी राशि को प्राप्त किया तथा उसका तुरन्त वित्तीय वर्ष में ही पूर्ववर्ती निपटारा कर दिया है।

(xi) कम्पनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक से किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया ना ही कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी किया है। अतः पैरा 4(xi) का आदेश लागू नहीं होता।

(xii) कम्पनी ने कोई भी शेयर, डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी के आधार पर किसी भी प्रकार का ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया है। अतः कम्पनी पर पैरा 4(xii) का आदेश लागू नहीं होता।

(xiii) कम्पनी ना तो चिट–फंड ना निधि / पारस्परिक लाभ फंड / सौसाइटी नहीं है जहां चिट–फंड संस्थाओं से संबंधित विशेष संविधि उपबंध लागू होते हैं।

(xiv) हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरणों के आधार पर कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों अथवा अन्य निवेशों में व्यापार नहीं किया है।

(xv) जैसा कि हमें दी गयी सूचना एवं सुलभ कराये गये विवरणों के अनुसार, कम्पनी ने किसी भी बैंक अथवा बैंको के अलावा वित्तीय संस्थानों से ऋणों के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दी है। अतः कम्पनी पर पैरा 4(xv) का आदेश लागू नहीं होता।

(xvi) जैसा हमें बताया गया है, कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का आवधिक ऋण नहीं लिया है। अतः पैरा 4(xvi) का आदेश लागू नहीं होता।

(xvii) हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान यहां कोई भी अल्प–कालिक अथवा दीर्ध–कालिक राशि बढी नहीं है।

(xviii) कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शेयर का वरीय आबंटन नहीं किया है।

(xix) कम्पनी ने कोई भी डिबेंचर जारी नहीं किया है।

(xx) कम्पनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक तौर पर कोई भी राशि नहीं ली है।

(xxi) हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी ने या पर कोई गबन का मामला सूचित या ध्यानाकर्षित नहीं आया है।

कृते एवं उनकी ओर से
जिंदल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 00844 एन

डा. बी. एस. जिंदल
भागीदार

31.03.2013 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

	टिप्पणी	31.03.2013 तक (रूपये में)	31.03.2012 तक (रूपये में)
निधियों के स्रोत :			
शेयरधारकों की निधियां			
शेयर पूंजी	1	24001800	24001800
आरक्षित एवं अधिशेष	2	1034738515	870829960
विनिर्दिष्ट आरक्षित	3	10354582	4652000
अ–सामयिक देयताएं			
दीर्घ–कालीन प्रावधान	4	38311546	32547629
वर्तमान देयताएं			
ट्रेड भुगतान योग्य	5	4175548	757875
अन्य वर्तमान देयताएं	6	6217801927	4514866170
अल्पावधि प्रावधान	7	52019192	33784332
योग		**7381403110**	**5481439766**
परिसंपत्तियां			
अ–सामयिक परिसंपत्तियां			
स्थाई परिसंपत्तियां	8	68521034	60049535
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (कुल)	9	16530837	14022066
दीर्घ–कालीन ऋण तथा अग्रिम	10	2399850	1182900
सामयिक परिसंपत्तियां			
ट्रेड प्राप्ति योग्य	11	177957495	135499993
नकद तथा नकद समकक्ष	12	5286955652	4701609484
अल्प–कालीन ऋण तथा अग्रिम	13	1403458698	303916730
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	14	425579544	265159058
योग		**7381403110**	**5481439766**

ऊपर 1 से 19 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

यह हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते जिंदल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं0–00844एन

(डा. बी. एस. जिंदल)

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31.03.2013 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा विवरण

	टिप्पणी	2012–13 (रूपये में)	2011–12 (रूपये में)
प्रचालनों से राजस्व			
परामर्श शुल्क		337979511	292885644
अन्य आय	15	245551434	152896829
कुल		**583530945**	**445782473**
व्यय			
कर्मचारियों के हित–लाभ व्यय	16	157698209	144535890
प्रशासकीय एवं अन्य व्यय	17	62550803	60304442
मूल्यह्रास		3208289	5754655
कुल		**223457301**	**210594987**
कर पूर्व लाभ		**360073644**	**235187486**
घटायें :– कर व्यय			
वर्तमान कर		136869150	88000000
आस्थगित कर		(2508771)	8975
		134360379	88008975
कर पश्चात लाभ		**225713265**	**147178511**
अर्जित प्रति शेयर			
मूलभूत		**940**	**613**

ऊपर 1 से 19 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

यह हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते जिंदल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं0–00844एन

(डा. बी. एस. जिंदल)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 7331

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(एस. के. जैन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)

(ए. के. अग्रवाल)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक : 02.07.2013
स्थान : नई दिल्ली

(जे. पी. बहल)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त व लेखा) एवं प्रभारी

(अजय सूरी)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त व लेखा) एवं कम्पनी सचिव

		31 मार्च, 2013 को (रूपये में)		31 मार्च, 2012 को (रूपये में)
9 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)				
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
छुट्टी नकदीकरण पर		12432097		10561706
संदिग्ध नामों हेतु प्रावधानों पर / अग्रिम / कबाड़		6072527		5234097
आस्थगित कर देयताएं				
कम्पनी अधिनियम और आयकर के बीच स्थायी परिसम्पत्तियों के अन्तर पर		1973787		1773737
आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का निवल		**16530837**		**14022066**
10 दीर्घ–कालीन ऋण एवं अग्रिम				
कर्मचारियों का अग्रिम				
–– यातायात अग्रिम		943600		1182900
–– हाऊस बिल्डिंग अग्रिम		1456250		-
(असंदिग्ध समझे गए)		**2399850**		**1182900**
11 प्राप्ति योग्य ट्रेड				
निम्न अवधि से बकाया ऋण छः माह से अधिक :				
– असंदिग्ध समझे गए		47898584		35388400
– संदिग्ध समझे गए		17323961		11621251
		65222545		47009651
अन्य ऋण – असंदिग्ध समझे गए		130058911		100111593
		195281456		147121244
घटाएँ : संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		17323961		11621251
		177957495		**135499993**
12 नकद एवं नकद तुल्यांक				
अग्रदाय सहित हस्तगत नकद		288369		280080
हस्तगत चैक				
अनुसूचित बैंकों में :				
– चालू खातों में	7634296		14439217	
– जमा खातों में (< एक वर्ष)	995635774		1401697703	
– जमा खातों में (> एक वर्ष)	51469448		13252129	
घटायें : बुक ओवरड्राफ्ट–	-	1054739518	7627586	1421761463
मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से शेष				
– बचत खातों में	325693416		366412266	
– जमा खातों में (< एक वर्ष)	2859771486		1955878316	
– जमा खातों में (> एक वर्ष)	1112259879		962131080	
घटायें : बुक ओवरड्राफ्ट	65797016	4231927765	4853721	3279567941
		5286955652		**4701609484**

		31 मार्च, 2013 को (रूपये में)		31 मार्च, 2012 को (रूपये में)
13 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम				
नकद अथवा अन्य रूप से अथवा प्राप्त की जाने वाली लागत के लिए वसूली योग्य पेशगियाँ (अनारक्षित, स्वीकार किये अन्यथा विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त) :				
कर्मचारियों का अग्रिम				
– यात्रा अग्रिम		129407		70609
– साधारण अग्रिम		888411		771905
सप्लायर्स / ठेकेदारों की ओर से प्राप्त				
– लेनदारों का अग्रिम – स्वा. एवं परि. क. मं.	814849463		245332295	
– लेनदारों का अग्रिम	3550681		-	
– ग्राहकों की ओर से जमा	39502858		2127782	
– ग्राहकों की ओर जमा – स्वा. एवं परि. क. मं.	531277483	1389180485	36847324	284307401
ग्राहक की ओर से प्राप्त करने योग्य				
– ग्राहकों की ओर जमा (संदिग्ध समझे गए)	1301053		1301053	
घटायें : ग्राहकों की ओर से जमा अग्रिम	1301053	-	1301053	-
अन्य				
– असंदिग्ध समझे गए	6898064		12235334	
– संदिग्ध समझे गए	-		2548321	
घटाएं : अग्रिम	-	6898064	2548321	12235334
प्रतिवाद के अधीन आयकर जमा		5835000		5835000
आयकर प्राधिकरण से प्राप्त करने योग्य		330850		500000
अन्य सुविधा प्राप्ति योग्य कर		196481		196481
		1403458698		**303916730**
टिप्पणियां :–				
– निदेशकों / विभाग–प्रमुखों की ओर से देय राशि		78979		79522
14 अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां				
अर्जित ब्याज जो देय नहीं है :				
– बैंक में जमा राशियों पर		83389397		72219570
– मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से–बैंक में जमा राशियों पर		245248969		138651438
– स्टाफ को दिए गए ऋणों एवं पेशगियों परे		742454		799065
प्राप्ति योग्य ब्याज		90847314		50230585
परामर्श शुल्क ग्रहित किन्तु देय नहीं		5351410		3258400
		425579544		**265159058**
15 अन्य आय				
बैंकों में जमा पर ब्याज :		237832437		147125668
स्टाफ ऋणों पर ब्याजे		134741		133522
दावा नहीं किये गये शेष		314800		3114286
पुनः हिसाब में लिये गये प्रावधान, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है		3207424		-
निविदा दस्तावेजों की बिक्री		1347300		2519610
अन्य आय		2714732		3743
		245551434		**152896829**

	31 मार्च, 2013 को (रूपये में)		31 मार्च, 2012 को (रूपये में)
16 कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित–लाभ			
वेतन, मजदूरी, प्रोत्साहन / पी.आर.पी. तथा भत्ते	118547324		105455349
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	12814202		13059007
स्टाफ के आवास के लिए लीज रैण्ट (वसूली का निवल)	15239883		16350728
स्टाफ कल्याण (चिकित्सा एवं छुट्टी यात्रा सहायता सहित)	5651800		5690806
स्टाफ निधियों में अंशदान	5445000		3980000
	157698209		**144535890**
17 प्रशासकीय एवं अन्य व्यय			
किराया	466692		1885682
यात्रा एवं वाहन .			
– निदेशक गण (विदेश यात्रा पर शून्य/– सहित, गत वर्ष शुन्य)	799488	483733	
– अन्य (विदेश यात्रा पर 0.30/– लाख रूपये सहित, गत वर्ष शून्य)	6949693	7749181	5921112	6404845
बीमा	209576		169203
विद्युत एवं ईंधन	2059610		3276435
प्रिंटिंग एवं लेखन सामग्री	3666805		4442638
डाक एवं टेलीग्राम	385987		345906
टेलीफोन एवं टेलेक्स	1026721		1131643
वाहन रख–रखाव व्यय (रिकवरी का निवल)	247664		352324
वाहन किराया व्यय	3133182		3499940
विज्ञापन एवं प्रचार	386010		233612
व्यवसायिक प्रभार तथा प्रदत्त किया गया सेवा–शुल्क	7285787		10228103
मरम्मत एवं रख–रखाव (वसूली का निवल)			
– भवन	6427516	3439931	
– कार्यालय उपस्कर	542337	6969853	959687	4399618
लेखा परीक्षा शुल्क	507977		344550
कारोबार उन्नति	2935753		4261558
निगमित सामाजिक दायित्व	5000		-
अभिदान तथा सदस्यता शुल्क	102925		106404
विधिक व्यय	91660		253440
सूचना तकनीकी खर्चे	897511		660262
ब्याज खर्चे	-		1131566
भरती एवं प्रशिक्षण व्यय	565323		535302
चौकीदार व्यये	1878076		3445221
विविध व्यय	1462424		420648
संदिग्ध लेखों के लिये अग्रिम	5702710		-
स्थायी परिसम्पत्ति कबाड़ हेतु प्रावधान	88475		659103
बटटे खाते संदिग्ध नामे	-		2381
परिसंम्पत्तियों की सेवानिवृत्ति पर हानि (निवल)	162579		55238
गत–अवधि मद (निवल)			
गत–अवधि आय (विवरण हेतु निम्नांकित टिप्पणी देखें)	(14203631)	(12305463)	
गत–अवधि खर्चे (विवरण हेतु निम्नांकित टिप्पणी देखें)	359691	14563322	(246643)	12058820

	31 मार्च, 2013 को (रूपये में)	31 मार्च, 2012 को (रूपये में)
गत अवधि समाशोधन (निवल)		
आय (Income)		
परामर्श शुल्क	(2127667)	(24307850)
आय – ब्याज	(12075964)	12002387
	(14203631)	**(12305463)**
खर्चे (Expenses)		
प्रशासनिक एवं अन्य खर्चे		
प्रिंटिंग एवं लेखन–सामग्री	159868	195321
टेलीफोन खर्चे	-	49404
गाड़ियों को किराये लेने का खर्चा	-	37319
व्यवसायिक खर्चे एवं उनकी सेवाएं लेने हेतु शुल्क	20178	(583451)
बीमा उपकरण	-	54764
मरम्मत एवं रख–रखाव	125645	-
कर्मचारियों के पारितोषिक एवं हित–लाभ		
पट्टा राशि	54000	-
	359691	(246643)
	(14563322)	**(12058820)**

18. लेखा संबंधी आवश्यक नीतियाँ

I. लेखा संबंधी परिकल्पना

लेखा विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनिवार्य लेखा मानकों तथा संगत प्रस्तुत शर्तों के अनुसार, स्वीकृत राजस्व तथा उनके आंकलन पर हिसाब में डाले गये खर्चों के आधार पर ऐतिहासिक लागत के अधीन तैयार किया गया है।

II. राजस्व मान्यता

क. परामर्श शुल्क

विभिन्न सेवाओं के बारे में परामर्श शुल्क की मान्यता संबंधी नीतियां निम्नानुसार हैं :–

(क) डिजाइन अभियांत्रिकी / शिक्षण / प्रशिक्षण / सूचना एवं तकनीकी पर

परामर्श शुल्क को ग्राहकों के साथ हुए समझौते के अनुसार अलग–अलग चरणों में पूरे किए गए कार्यों / स्तरों के लिए आय की मान्यता वसूल किए गए शुल्कों / बिलों के आधार पर दी जाती है।

(ख) प्रापण पर

(i) परामर्श शुल्क को ग्राहकों के साथ हुए समझौते के अनुसार अलग–अलग चरणों में पूरे किये गए कार्यों के लिए आय की मान्यता वसूल किए गए बिलों / प्राप्त कि गये कार्यो / स्तरों के आधार पर दी जाती है।

(ii) परामर्श शुल्क ग्राहकों के साथ हुए समझौते के अनुसार ऐसी अवस्थाओं में मान्यता नहीं जाती है, परामर्श शुल्क को आय में निम्नानुसार मान्यता दी जाती है :–
– आपूर्ति आदेश के कार्यादेश देने पर – कुल 70% शुल्क प्राप्त किया जाता है।
– बाकी का 30% शुल्क – उपस्कर प्राप्त होने / लग जाने पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(ग) निर्माण संविदाओं पर (परियोजना प्रबंधन)

परामर्श शुल्क को ग्राहकों के साथ हुए समझौतों के अनुसार पूरे किये गए कार्यों के लिए आय की मान्यता वसुल किए गए कार्यों के आधार पर दी जाती है। जहां पूरे हुये कार्य कों वर्ष भर नहीं आंका जाता, परामर्श शुल्क को आय में संपूर्ण कार्य को तकनीकी निर्धारित आधार पर आय में मान लिया जाता है।

ख. साधारण

क) जहां परियोजना की लागत में संशोधन किया जाता है वहां परामर्श आय को उस लेखा वर्ष में संशोधित लागत में दिखाया जाता है।

ख) यदि शुल्क के बदले संसाधन जुटाने में अग्रिम लिया गया हो तब वह समानुपातिक आधारों पर ग्राहकों के साथ हुए समझौतों अनुसार मान्यता दी जाती है।

ग) यदि अग्रिम शुल्क, प्रथमावस्था भुगतान का भाग हो तब यह अगले भुगतान पर समझौते अनुसार ले लिया जाता है।

III. स्थायी परिसंपत्तियाँ

क) स्थायी परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण से संबंधित आवक भाड़ा, शुल्क, कर एवं प्रासंगिक खर्चों सहित अधिग्रहण की लागत पर खातों में डाला गया है, जिसमें से मूल्यह्रास घटा दिया गया है।

ख) सेवा–निवृत्त परिसम्पत्तियों को बिक्री हेतु निवल प्रयोगात्मक मूल्य में मान लिया जाता है।

IV. मूल्यह्रास

(ख) पट्टा भूमि का पट्टा अवधि के समय परिशोधन यथानुपात ढंग से किया जाता है।
(ग) लेखन सामग्री और पुस्तकालय की पुस्तकों को वर्ष के दौरान ही राजस्व से पूर्णतयाः प्रभारित कर दिया जाता है।

V. पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि की 20,000/– रुपये प्रत्येक से अधिक की आय / व्यय को पूर्व वर्षों की पूर्व अवधि आय / व्यय मदें समझा जाता एवं यथोचित उल्लेख किया जाता है।

VI. पूर्वदत्त व्यय

अनुवर्ती वर्षों से संबंधित 20,000/– रुपये तक के प्रत्येक व्यय को चालू वर्ष के व्यय से लिया गया है। 20,000/– रुपये से अधिक के खर्चों को पूर्वदत्त खर्च माना जाता है।

VII. सेवानिवृत्ति हित–लाभ

(i) भविष्य निधि (Provident Fund)

कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में कंपनी द्वारा नियमित अंशदान किया जाता है तथा उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है।

(ii) उपदान (Gratuity)

कंपनी ने एक उपदान न्यास निधि स्थापित की है जिसका काम–काज भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाया जा रहा है। उपदान में दी जाने वाली वार्षिक राशि का निर्धारण सामूहिक उपदान योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक मजदूरी बिल के प्रतिशत के रूप में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(iii) छुट्टी दायित्व (Leave Encashment)

वर्ष के अन्त में छुट्टी नगदीकरण दायित्व वास्तविक मूल्यांकन आधार पर किया जाता है।

VIII. विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा लेन–देन उल्लेख संबंधित लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। विनिमय दर में बाद में आए उतार–चढ़ाव के फलस्वरूप होने वाले लाभ/हानि को चाहे वो निपटारे पर हो चाहे अनुवाद पर लाभ–हानि को मानकीकृत लेखों में आंका जाता है, स्थायी परिसंपत्तियों द्वारा अर्जित करने से संबंधित के अतिरिक्त, इस तरह के मामलों में परिसंपत्तियों से लगायी गई लागत से समाशोधित की जाती है।

IX. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों पर हुये राजस्व खर्चों को उसी वर्ष के खर्चों में दर्ज किया जाता है।

X. कराधान हेतु प्रावधान

चालू कर व्यवस्था को आयकर खर्चे में सम्मिलित किया जाता है तथा निवल को आस्थगित कर लेखों में बदल दिया जाता है।

चालू कर को आयकर अधिनियम, 1961 उपबंधों अनुसार गणना की जाती है।

आस्थगित कर आयकर को प्रभावित करके कर–योग्य आय तथा बुक–आय में समय निर्धारण करता है तथा कर दरों को तुलन पत्र की दिनांक से दूरदर्शिता के आधार पर अधिनियमित या स्थानापत्ति अधिनियमित लेखों में प्रयोग की ली जाती है।

XI. लाभांश

वर्ष के लिए लाभांश का प्रावधान निदेशक मण्डल द्वारा किये गए प्रस्ताव के अनुसार किया गया है बशर्ते कि कम्पनी की आम सभा की वार्षिक बैठक में सदस्यों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाए। लाभांश पर कर का प्रावधान प्रस्तावित लाभांश के आधार पर किया गया है।

XII. देयताएं / उपबंध जिनकी दीर्घकालीन आवश्यकता नहीं

चार वर्ष या उससे अधिक देयताओं / उपबंधों को तैयार कि गयी दिनांक तक उन्हें तुलन पत्र से हटा दिया गया है। भविष्य में यदि या बाद में

वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

19. लेखा टिप्पणियाँ

(i) आकस्मिक देयताएं जिनकी व्यवस्था नहीं की गयी :–

(क) कम्पनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं समझा गये 1.83 लाख रुपये। (गत वर्ष 1.83 लाख रुपये) ।

(ख) स्टाफ की विवादित राशि 34.61 लाख रूपये का निपटारा ना होना। (गत वर्श 34.61 लाख रुपये) ।

(ग) 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की ओर से बैंक द्वारा गारंटियां जारी की गई राशि 557.56 लाख रूपये (गत वर्ष 211.88 लाख रूपये)।

(घ) विभिन्न सप्लायरों / ठेकेदारों द्वारा कोर्ट / विवाचन के कुछ मामलों में जिसमें एच एस सी सी सह–प्रतिवादी है, कुल योग 4706 लाख रूपये (भुगतान का निवल) (लगभग) गत वर्ष 4135 लाख रूपये (लगभग)। इसलिये, इन मामलों में मैनेजमैंट किसी भी दायित्व को कम्पनी में नहीं देखती है।

(ड) आयकर (Income Tax)

- वर्ष 2005–06 हेतु आयकर राशि 388.86 लाख रूपये की मांग के लिये कम्पनी ने निर्धारण अधिकारी के पास सी. आई. टी. (अपील) में अपील दाखिल की थी जिसे सी. आई. टी. (अपील) ने पास करके कम्पनी के हक में आदेश जारी किया है। अभी सी. आई. टी. (अपील) के आदेश के विरूद्ध डी. सी. आई. टी. (D C I T) ने आयकर अपील अधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal - I T A T) में अपील दाखिल की है। अपील अभी सुनवाई के लिये आयकर अपील प्राधिकरण में लम्बित है।
- वर्ष 2008–09 हेतु आयकर राशि 6.29 लाख रूपये की मांग के लिये कम्पनी ने निर्धारण अधिकारी के पास सी. आई. टी. (अपील) में अपील दाखिल की थी जिसे सी. आई. टी. (अपील) ने पास करके कम्पनी के हक में आदेश जारी किया है। अभी सी. आई. टी. (अपील) के आदेश के विरूद्ध डी. सी. आई. टी. (D C I T) ने आयकर अपील अधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal - I T A T) में अपील दाखिल की है। अपील अभी सुनवाई के लिये आयकर अपील प्राधिकरण में लम्बित है।

(ii) एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली C R I, Kasauli) में परामर्श शुल्क के संदर्भ में, इस परियोजना में कुछ छोटी–मोटी त्रुटियां होने के कारण, इन्हें ठीक करने एवं इनमें बदलाव के लिये विगत (अक्टूबर, 2006 में) कम्पनी 3 करोड़ रूपये की राशि के लिये सहमत है तथा इस राशि को 2 / 3 तक बारियों में लिया जायेगा। किन्तु इस निर्णय को बोर्ड अभी मंजूरी नहीं दी है। अब, बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि कम्पनी ग्राहक के साथ संयुक्त रूप से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये इस परियोजना में आई उद्धाटित कमियों को दूर करे। इस असाधारण जिम्मेदारी के कारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (M O H & F W), भारत सरकार ने एक एजेंसी को यह कार्य सौंपा है जो कम्पनी द्वारा 2004 से भवन निर्माण में उपलब्ध करवाई जा रही परामर्श सेवाओं में आई बढोतरी को मूल्यांकित करेगी जैसे; जब केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (C R I, Kasauli) को बिल्डिंग सौंपी जायेगी, यदि मांग नहीं की जायेगी जब तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से इस बढ़ी हुई राशि का भुगतान एवं वहन कम्पनी करेगी। अभी तक देयता राशि को विनिश्चित नहीं किया गया है। इसके अनुसार, यह लाभ एवं हानि लेखे उसी वर्ष दर्ज की जाती है जब यह देयता निर्धारित की जाती है।

(iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 09 / 05 / 2013 पत्र संदर्भ संख्या टी–14020 / 27 / 2009 वी. भी. डी. के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संख्या एस.एल.पी. संख्या 12397 / 2013 के संदर्भ में उठाये गये मामले के ऐवज में दिये गये आदेश की अनुपालना में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिये गये न्याय तथा दिनांक 21.12.2012 को जारी आदेश संख्या एफ.ए.ओ. नम्बर 623 / 2012 के संदर्भ में कोर्ट ने कहा है तथा यह निर्णय लिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के स्तर पर एच एस सी सी (इंड़िया) लि. को मैसर्स आई.एस.एस.ए. इंडस्ट्रीज के बेडनेटों (Bednets) के मामले में विधान राशि (Decretal Amount) भुगतान राशि जमा करनी होगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उपरोक्त आदेश का अनुपालन करने के लिये, दिनांक 15.05.2013 को एच एस सी सी ने 1704.77 लाख रूपये जमा कर दिये हैं, जो एच एस सी सी के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई परियोजनाओं के लिये उपलब्ध है बाकी अभी उपलब्ध नहीं है जिसे दिनांक 10.05.2013 को आयोजित 128वीं बोर्ड की बैठक (Board Meeting) तथा शेयर–होल्डर्स (Shareholders) की दिनांक 13.05.2013 को आयोजित द्वितीय असाधारण आम–सभा बैठक (2nd Extra Ordinary General Meeting) में अनुमोदित कर दिया गया है। यह राशि आकस्मिक देयता में शामिल है [देखें 19(i) (d)] । जैसा कि असाधारण आम–सभा बैठक (Extra Ordinary General Meeting) में निर्णय लिया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस मामले से जुड़े व्यक्तिओं / खामिओं के लिये जिम्मेदार संगठन की जांच तथा खामिओं का पता लगाने के लिये विवाचन / न्यायालयों के आदेशों का दायित्व निभाने तथा मामले से जुड़ी खामियों / भूल / चूक की जांच (Inquiry) स्थापित करने के लिये निवेदन किया गया है। विशेषरूप से इन चूकों एवं भूलों के कारणों के लिये संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है तथा इसके विवाचन में एच एस सी सी विवाचनार्थ उत्तदायी नहीं है।

(iv) मंत्रालयों / ग्राहकों से प्राप्त धन को रखने के लिए किये गये करार के निबंधन एवं शर्तोनुसार अलग बैंक खातों में रखा जाता है। मंत्रालयों / ग्राहकों से हुए समझौते के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान स्वास्थ्य परियोजना कार्यान्वयन (Health Projects Implementation) हेतु क्रमशः 42911.01 लाख रुपये (पिछले वर्ष 19821.59 लाख रुपये) प्राप्त किए। इस धनराशि को बैंक में एक अलग खाते में रखा गया और स्रोत पर कर कटौती पश्चात निवल ब्याज की राशि संबंधित मंत्रालयों के नामे खाते में गयी। वर्ष 2012–13 के दौरान, कायिक खाते

(Corpus Account) में ब्याज राशि 1296.44 लाख रूपये (पिछले वर्ष 664.02 लाख रुपये) का संचय किया गया है। इसके अलावा, ऐसे खातों का विवरण ग्राहकों की ओर से नामे व जमा शेष राशि संबंधित लेखा शीर्षों के तहत वित्तीय विवरणों में अलग से दर्शाया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से 31.03.2013 तक बैंकों के पास पड़ी बकाया 10.10 लाख रूपये (गत वर्ष 17.43 लाख रुपये) राशि के लिये साख–पत्र स्थापित किया गया है।

(v) सूक्ष्म, लघू और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत, उपलब्ध सूचना के आधार पर दिनांक 31.03.2013 तक ग्राहकों की ओर से, मात्र एक सप्लायर पर 13.63 लाख रूपये (गत वर्ष 251.58 लाख रूपये) की मूलधन के रूप में पहचान हो पायी है। फिर भी, इस पर वर्ष के दौरान कोई भी देय / देने योग्य / प्रोद्भूत ब्याज बकाया नहीं है।

(vi) कम्पनी ने विविध देनदारों को पुष्टिकरण पत्र (Confirmation Letter) भेजा है किन्तु उनकी ओर से आज तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से अधिकतर पार्टियों के खातों में जमा राशियों और विभिन्न शेष राशियों में विविध लेनदारों, जमा राशियों की पुष्टि शेष राशि निपटारा होने पर कर दिया जाता है।

(vii) ग्राहकों के कार्यों में विविध लेनदारों के क्लैम न किये गये खातों का निपटारा उन्हें स्थानातंरित करके संबंधित ग्राहक खातों के अनुसार उसी वर्ष उनसे निपटाये खातों के अनुसार समाशोधित कर लिये जाते है।

(viii) अ–समायोजित राशि जो ग्राहकों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राज्य सरकारों, सरकारी अधीनस्थ निकायों, लोक उधम विभागों इत्यादि) के खाते में पिछले 4 वर्षों से पड़े 2996.53 लाख रूपये (गत वर्ष 2763.40 लाख रूपये) जिसमें कायिक खाते (Corpus Account) में पड़े 2262.79 लाख रूपये (गत वर्ष 2038.04 लाख रूपये) सहित को उनके साथ उसी वर्ष भुगता दिया जाता है।

(ix) कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के कल्याणार्थ अनुमोदित कर्मचारी चिकित्सा एवं कल्याण न्यास में प्रत्येक पर क्रमशः 35.25 लाख रूपये तथा 19.20 लाख रूपये (गत वर्ष 27.40 लाख रूपये तथा 12.40 लाख रूपये) का अंशदान किया है।

(x) गत वर्ष करार (Agreement) हस्ताक्षर ना किये जाने के कारण पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) अमृतसर तथा पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) टांडा की परामर्श शुल्क राशि 179.60 लाख रूपये को शामिल नहीं किया गया है, जबकि वर्तमान वर्ष में समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने पर उसी राशि को शामिल कर लिया गया है।

(xi) वर्ष 2012–13 हेतु 180 लाख रूपये (गत वर्ष 160 लाख रूपये) बकाया व्यय सहित प्रदर्शन संबंधित वेतन (Performance Related Pay PRP) भी शामिल है।

(xii) लेखा–परीक्षकों का भुगतान (Payment of Auditors)

(रूपये लाख में)

विवरण	2012–13	2011–12
लेखा–परीक्षा शुल्क	3.50*	2.50
कर लेखा–परीक्षा शुल्क	0.70**	0.50
प्रमाणन शुल्क	0.44	-
बाह्य खर्चों की प्रतिपूर्तियां	0.44	0.45
योग	5.08	3.45

* इसमें गत वर्ष के 0.50 लाख रूपये शामिल हैं।
** इसमें गत वर्ष के 0.10 लाख रूपये शामिल हैं।

(xiii) बोर्ड निदेशकों के मतानुसार, 31.03.2013 से लागु चालू परिसम्पत्तियों एवं ऋणों तथा अग्रिमों की राशि साधारण मानक अनुसार कारोबार में कम से कम उक्त राशि दर्शायी गई तारिख के बराबर ही है जोकि तुलन पत्र के शुरू में वर्णित की गई थी।

(xiv) वर्ष 2012–13 के लिये कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन सनदी लेखाकारों की एक स्वायत्त फर्म द्वारा किया गया है।

(xv) विदेशी मुद्रा के संदर्भ में (मुद्रा दर में परिवर्तनों सहित) की सूचना :

(रूपये लाख में)

विवरण	2012-13	2011-12
विदेशी मुद्रा के रूप में व्यय :		
–– यात्रा	0.30	शून्य
–– सी. आई. एफ. आधार पर आयात लागत पूंजीगत माल (ग्राहकों की ओर से)	17.83	243.10

(xvi) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (I C A I - आई सी ए आई) जारी लेखा मानक – 7 "ठेकों का निर्माण " " Construction Contracts " प्रणाली का प्रकटन निम्नानुसार दिया गया है, जोकि कम्पनी ने सिविल निर्माण कार्य परियोजनाओं से संबंधित है : –

(रूपये लाख में)

विवरण	2012-13	2011-12
(क) वर्ष के दौरान ग्राहकों की ओर से कुल लागत राशि प्राप्त की गई	39352	8975
(ख) वर्ष के दौरान इसी तरह के ठेकों पर परामर्श शुल्क	3200	2756
(ग) इस तरह के ठेकों पर मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से बकाया जमा / अग्रिम	33221	27104
(घ) इस तरह के ठेकों पर बकाया प्रतिधारण राशि	4038	2674

(xvii) वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, एच एस सी सी (H S C C) का ग्राहकों की ओर से निर्माण की गतिविधियों के लिये 39352 लाख रूपये का लेन–देन हुआ था।

(xviii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई - I C A I) जारी लेखा मानक–15 " कर्मचारियों के हित–लाभ में " (वर्ष 2005 में परिशोधित) प्रणाली का प्रकटन इस प्रकार से है :–

I. निर्धारित अंशदान योजना (Defined Contribution Plan)

(क) भविष्य–निधि (Provident Fund)

कम्पनी पूर्व–निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के लिये स्थायी अंशदान का भुगतान कर रही है जिसके लिये " एच एस सी सी कर्मचारी भविष्य–निधि फण्ड ट्रस्ट " नाम से अलग ट्रस्ट बना हुआ है जिसमें फण्ड राशि को अनुमति–प्राप्त प्रतिभूतियों के रूप में निवेश किया जा रहा है। वर्ष में इस फण्ड को खर्चे के रूप में मानकर लाभ एवं हानि लेखें में मान्यता दे दी जाती है। भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट भविष्य–निधि फण्ड ट्रस्ट में अंशदान कर रहे सदस्यों को कम–से–कम ब्याज दर देना पड़ता है। ट्रस्ट में कमी या घाटे लिये, यदि कोई हो तो, इस तरह के कम से कम ब्याज दर के भुगतान का लेखा, कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा इसे लाभ – हानि खाता खर्चे में डाला दिया जाता है। वर्ष के दौरान, कम्पनी की ओर से भविष्य–निधि खाते में 71.95 लाख रूपये (गत वर्ष 66.83 लाख रूपये) नियोक्ता अंशदान के रूप में डाल दिया गया है तथा वर्ष 2012–13 हेतु अंतिम कमी के रूप में लाभ–हानि लेखा में शुन्य रूपये (गत वर्ष शुन्य रूपये) की ब्याज राशि सहित दर्ज दिया गया है।

II. निर्धारित हित–लाभ योजना (Defined Benefit Plan)

(ख) उपदान (Gratuity)

कम्पनी में उपदान प्रतिपूर्ति हित–लाभ को परिभाषित कर रखा है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक का सेवा–काल पूरा कर लिया हो वह वर्ष में 15 दिन का वेतन–मान (बिमारी की छुटट्री 15 / 26 गुणा लिया गया अन्तिम वेतन, मंहगाई भत्ता) के आधार पर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष जिसमें उसकी अधिवर्षिता (Superannuation), त्याग–पत्र (Resignation), समाप्ति (Termination), या उसकी विकलंगता या मृत्यु होने की दशा में उसे अधिकतम राशि 10 लाख रूपये (गत वर्ष 10 लाख रूपये) मिलने का प्रावधान है।

यह योजना " एच एस सी सी कर्मचारी उपदान फण्ड ट्रस्ट " के नाम से जानी जाती है जोकि कम्पनी के अलग से ट्रस्ट द्वारा वित्त–पोषित की जाती है, जोकि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा व्यवस्थित है। जितनी राशि भारतीय जीवन बीमा निगम को देनी होती है उतनी राशि की गणना करके योजना की देयताओं का वास्तविक मूल्याकंन करके उन्हें वार्षिक आधार पर मानकर उसे मान्यता दे जाती है। तदनुसार, इस वर्ष कम्पनी की ओर से लाभ एवं हानि लेखा में 42.63 लाख रूपये (गत वर्ष 31.41 लाख रूपये) उपदान निधि के रूप में इस राशि का योगदान किया गया है।

घटकों का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र.सं	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
क	**सदस्यता विवरण**		
	सदस्यों की संख्या	123	128
	औसत आयु (वर्ष)	41.10	41.08
	औसत मासिक आय (रूपये)	42870	37338.47
	औसत पूर्व सेवा (रूपये)	10.61	10.06
ख	**बीमांकक धारणाएं**		
	मृत्यु संख्या दर	एल.आईसी (1994–96) अंतिम	एल.आई.सी.(1994–96) अंतिम
	वापसी दर	1 % से 3 % आयु पर निर्भर	1% से 3% आयु पर निर्भर
	छूट दर	8% वार्षिक	8% वार्षिक
	आय वृद्धि	6% वार्षिक	6% वार्षिक
ग	**परिणामों का मूल्यांकन**	**(लाख रूपये में)**	**(लाख रूपये में)**
	गत–सेवा हित–लाभ का पी.वी.	259.06	225.12
	वर्तमान सेवा लागत	21.17	18.32
	कुल सेवा उपदान	988.27	674.22
	प्रोद्भूत उपदान	344.77	287.59
	एल सी एस ए (LCSA)	643.50	386.63
	नवीकरण दिनांक से फण्ड राशि	239.83	213.57

(ग) चिकित्सा सुविधा (Medical Facility)

कम्पनी द्वारा उपलब्ध नामिकागत किये गये अस्पतालों में सेवा–निवृत कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित पति–पत्नी के इलाज के लिये सेवा–निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा सुविधा (पी आर एम एफ PRMF) योजना लागु है। यह योजना " एच एस सी सी कर्मचारी चिकित्सा फण्ड ट्रस्ट " जानी जाती है जोकि कम्पनी के ट्रस्ट द्वारा वित्त–पोषित की जाती है। इस अंशदान को भुगतान के आधार पर ट्रस्ट के लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दे जाती है। वर्ष के दौरान कम्पनी की ओर से ट्रस्ट के तहत लाभ एवं हानि लेखा में 35.25 लाख रूपये (गत वर्ष 27.40 लाख रूपये) का योगदान दिया गया है जिसमें सतत कर्मचारियों की बिमारियों का खर्चा भी शामिल है।

(घ) गृह निवास हेतु छुट्टी यात्रा भत्ता रियायत (Leave Travel Concession LTC for Home Town)

कम्पनी की ओर से कर्मचारियों तथा उन पर आश्रितों के लिये यात्रा भत्ता रियायत योजना है। यह योजना अ–निधि है एवं इसे मूल भुगतान आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दे जाती है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने लाभ एवं हानि लेखा में 0.28 लाख रूपये (गत वर्ष 2.04 लाख रूपये) छुटटी भत्ता रियायत (Leave Travel Concession) के रूप में मान्यता दी है।

(ड़) छुट्टी प्रतिपूर्ति (Leave Encashment)

कम्पनी ने छुट्टी प्रतिपूर्ति हित–लाभ को अर्जित अवकाश तथा अर्द्ध–वेतन (बिमारी की छुट्टी) हेतु अनुपस्थितित के भुगतान के रूप में परिभाषित कर रखा है। यह योजना अ–निधि है तथा जिसे मूल भुगतान आधार पर परियोजना एकक क्रेडिट विधि को प्रयोग करके लाभ एवं हानि लेखे में वास्तविक मूल्याकंन करके वार्षिक आधार पर मान्यता दे जाती है। विभिन्न संगठनों से प्राप्त की गई राशि को लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता दे दी गई है।

घटकों का सारांश निम्नलिखित है :–

(क) वर्तमान मूल्य पर आभार में परिवर्तन

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
(क)	कार्यकाल की शुरूवात पर आभार का वर्तमान मूल्य	325.47	331.17
(ख)	लाभांश लागत	26.04	28.15
(ग)	वर्तमान सेवा लागत	36.31	34.51
(घ)	किया गया हित–लाभ भुगतान	(45.55)	(75.52)
(ड)	वास्तविक (प्राप्त) / आभार पर हानि	40.83	7.16
(च)	कार्यकाल के अन्त में आभार का वर्तमान मूल्य	383.10	325.47

(ख) लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किये गये खर्चे

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
(क)	वर्तमान सेवा मूल्य	36.31	34.51
(ख)	लाभांश लागत	26.04	28.15
(ग)	वास्तविक (प्राप्त) निवल / कार्यकाल में दर्ज हानि	40.83	7.16
(घ)	लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज किये गये खर्चे	103.18	69.82

(ग) देयताओं में संचलन को तुलन–पत्र में दर्ज किया गया

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
(क)	अथ निवल देयता	325.47	331.17
(ख)	उपरोक्त खर्च	103.18	69.82
(ग)	भुगतान किये गये हित–लाभ	(45.55)	(75.52)
(घ)	शेष निवल देयता	383.10	325.47

(घ) देयताओं में संचलन को तुलन–पत्र में दर्ज किया गया

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
(क)	छूट दी गई दर (%)	8.0	8.5
(ख)	भविष्य में वेतन–वृद्धि (%)	5.5	6
(ग)	सेवा–निवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60

(xix) लेखा मानक – 17 के तहत प्रतिवेदन अंश : –
कम्पनी का मुख्य कारोबार केवल परामर्श सेवा प्रदान करना है। इसके अनुसार, कम्पनी एकल प्राथमिक अंश का संचालन करती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी भारत में प्राथमिक परियोजनाओं को ग्रहण करती है, अतः यहां कोई प्रतिवेदित भौगोलिक अंश नहीं है।

(xx) गत वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष की तुलना में आवश्यकता अनुसार समायोजित किया गया है।

(xxi) लेखा मानक – 18 के तहत पार्टी से संबंधित प्रकटन :
संबंधित पार्टी लेन–देन में निम्नलिखित प्रावधान है : –

(क) संबंधित पार्टीयों की सूची :–

	नाम	संबंध का प्रकार
(i)	**श्री ज्ञानेश पाण्डेय** – निदेशक (इंजीनियरिंग) 25.07.2012 तक – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 26.07.2012 से	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(ख) संबंधित पार्टियों का संचालन : –
पारिश्रमिक खर्चों सहित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (इंजीनियरिंग) को पारितोषिक के तौर पर 25.76 लाख रूपये (गत वर्ष 65.97 लाख रूपये) दिये गये प्रतिपूर्ति खर्चों का विवरण उपरोक्त वर्णित पैरा में उल्लेख कर दिया गया है।

(रूपये लाख में)

	विवरण (देय / देने योग्य)	31.03.2013	31.03.2012
(i)	वेतन एवं भत्ते	17.30	52.38
(ii)	भविष्य निधि में अंशदान	1.50	2.34
(iii)	मकान किराया (निविल)	5.48	8.74
(iv)	चिकित्सा, छुट्टी यात्रा रियायत एवं परिलब्धियां	1.48	2.51
	योग	**25.76**	**65.97**

इसके अलावा, उक्त पारिश्रमिक में उपदान योजना तथा सामूहिक बीमा योजनाओं एवं छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया है।

(xxii) अर्जित प्रति शेयर (मौलिक एवं मिश्रित) से संबंधित लेखा मानक– 20 :–

	प्रति शेयर उपार्जन का परिकलन	2012.13	2011.12
क	इक्विटी शेयर–धारकों को वर्ष हेतु आरोप्य निवल लाभ (रूपये लाख में)	2257.13	1471.78
ख	वर्ष के दौरान शेष बचे इक्विटी शेयरों की संख्या	240018	240018
ग	प्रति शेयर उपार्जन (क) / (ख) (रूपये)	940	613
घ	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रूपये)	100	100

अनुसूची 1 से 19 तक हस्ताक्षरकर्ता

यह हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते जिंदल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं0–00844एन

(डा. बी. एस. जिंदल)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 7331

दिनांक : 02.07.2013
स्थान : नई दिल्ली

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(एस. के. जैन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)

(ए. के. अग्रवाल)
कार्यपालक निदेशक

(जे. पी. बहल)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त व लेखा) एवं प्रापण

(अजय सूरी)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त व लेखा) एवं कम्पनी सचिव

कार्यपालक

श्री अजय सूरी
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
तथा कम्पनी सचिव

श्री राजीव
उप–महाप्रबंधक (सिविल)

श्री पी. के. भाटिया
उप–महाप्रबंधक (यांत्रिक)
एवं सार्वजनिक सूचना अधिकारी

श्री पी. एस. राव
उप–महाप्रबंधक (सिविल)

श्रीमती मोनिशा तनखा
उप–महाप्रबंधक
(डिजाइन एवं इंजीनियरिंग)

श्रीमती आर. सीतामणि
उप–महाप्रबंधक (पी. आर.)

श्री आर. के. अग्रवाल
उप–महाप्रबंधक (विद्युत)

श्री देबाशिश बंद्योपाध्याय
उप–महाप्रबंधक (यांत्रिक)

श्री बी. के. मैनन
वरिष्ठ प्रबंधक
(मानव संसाधन प्रबंधन)

श्री अजय कुमार नेमा
वरिष्ठ प्रबंधक (सूचना तकनीकी)

श्री नरेन्द्र कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक (कारोबार विकास
तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण)

श्री एस. एस. पोपली
वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल)

श्री एस. एस. मिढ़ा
वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल)

श्री दीपक कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिक)

एच एस सी सी के कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय :

205 (द्वितीय तल), ईस्ट एण्ड प्लाजा,
प्लॉट न. 4, डी. डी. ए. – एल. एस. सी., सेंटर – II
वसुंधरा इन्कलेव, दिल्ली – 110096

कॉरपोरेट कार्यालय :

ई – 6 (ए), सैक्टर – 1,
नौएडा – 201301 (उत्तर प्रदेश)

प्रमुख साइट कार्यालय (MAJOR SITE OFFICES)

01. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली
    - एकीकरण केन्द्र
    - छात्रावास परिसर
    - शल्य–चिकित्सा खण्ड
02. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), सरिता विहार, नई दिल्ली
03. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC), नई दिल्ली
04. सफदरजंग अस्पताल का पुनर्विकास – एस.एस.बी.
05. गुरू तेग बहादुर डायग्नोस्टिक सेंटर तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर, पंजाब
06. उन्नत केंसर डायग्नोस्टिक उपचार एवं अनुसंधान केन्द्र, भटिंडा, पंजाब
07. फिज्योथैरेपी एवं नर्सिंग कॉलेज, पटियाला, पंजाब
08. सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला, पंजाब
09. डा. राजेन्द्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज, अति–विशिष्ट ब्लॉक, टांडा, हिमाचल प्रदेश
10. कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज (KCMC), करनाल, हरियाणा
11. एम्स (AIIMS) – रायबरेली
12. माइक्रोबॉयल कन्टेमैंट कम्पलैक्स (MCC), पूणे
13. भारतीय समवेज औशध संस्थान (IIIM), जम्मू
14. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडीसिन, फेस – III, बैंगलूर
15. राष्ट्रीय पशु बायो–तकनीकी संस्थान, हैदराबाद
16. एम्स समानार्थी संस्थान हेतु हाऊसिंग कम्पलैक्स, भुवनेश्वर
17. उत्तर पूर्वी इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थान (NEIGRIHMS), शिलौंग
18. आयुष, शिलौंग
19. प्रयोगशाला एवं पशुआलय – क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, डिब्रुगढ़, असम
20. लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम
21. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (RIMS), इम्फाल, मणिपुर
22. नाहरलागुन में सिविल अस्पताल, अरूणाचल प्रदेश
23. क्षेत्रीय पैरा–मेडिकल एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान (RIPANS), आइजोल
24. डिस्ट्रीक्ट जनरल अस्पताल, डिकोया, श्रीलंका

सांविधिक लेखा–परीक्षक

मैसर्स जिन्दल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
3808, डेविड स्ट्रीट
दरिया गंज,
नई दिल्ली - 110002

आन्तरिक लेखा–परीक्षक

मैसर्स बुद्धराजा अदलखा एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
5/31, डब्ल्यू ई ए
करोल बाग,
नई दिल्ली - 110005

सचिवालय लेखा–परीक्षक

मैसर्स प्रवीण रस्तोगी एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव
फ्लैट न. 3, सूद बिल्डिंग
तेल मिल मार्ग,
राम नगर, पहाड़ गंज,
नई दिल्ली - 110055

बैंकर्स

इण्डियन ओवरसीज बैंक
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
सिंडीकेट बैंक
यूको बैंक
कार्पोरेशन बैंक

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

(एक मिनी रत्न कम्पनी)

कारपोरेट कार्यालय :

ई–6 (ए), सैक्टर–1, नोएडा – 201 301 (उ0 प्र0)

फोन. : 0120–2542436, 37, 38, 39, 40

फैक्स : 0120–2542447, 2533001

वेबसाइट : **www.hsccltd.co.in**